

[Dr Samantsinhar]

There are only 800 miles of railway in Orissa and the places are far away from the rail-head. The price now fixed is not a fair one and even from that, the transport charges will be deducted.

Shri A. P. Jain: Sir, I hope you will sympathise with me. I have been placed in a very embarrassing position, because such a large number of questions have been asked.

Mr. Speaker: The hon Minister did not even note down what all questions were put. If he finds it difficult, I shall supply a copy of today's proceedings to him; he will look into them and file a statement tomorrow.

Shri A. P. Jain: I shall try to answer the questions.

Mr. Speaker: If the hon Minister is willing to answer to the best of his ability now, the House may hear it.

Shri A. P. Jain: It is possible that I may not be able to carry all the questions in my head, nonetheless, I will try.

Shri S. M. Banerjee: Mr. Speaker, your suggestion is better.

Shri Prabhat Kar: In view of the fact that the hon Minister has not taken down the questions, he may make a statement.

Shri Vajpayee: Why not have a two-hour discussion?

Mr. Speaker: We will have it later.

Shri A. P. Jain: If you want me to answer now, I shall do so. But if you want me to answer them later on, I shall do so.

Mr. Speaker: I shall pass on a copy of the proceedings to the hon Minister. He may give an answer leisurely and I will circulate it to the hon Members, instead of his making a statement here. He may anticipate

further questions arising out of that and he may make as complete a statement as possible.

Shri Prabhat Kar: Including today's statement.

Mr. Speaker: That also will be circulated.

11.37 hrs.

DELHI LAND REFORMS (AMENDMENT) BILL

Mr. Speaker: The Business Advisory Committee did not go through this Bill and fix up any time. It is proposed by the Government that three hours may be allotted. I think three hours are enough.

Shri Naushir Bharucha (East Khandesh) Till 5 o'clock, we can discuss it.

Mr. Speaker: We will conclude it today.

Shri Radha Raman (Chandni Chowk) The time should be extended at least to four hours.

Mr. Speaker: We shall dispose of it today.

Shri Radha Raman: I would like to make one more suggestion, if you approve of it. The two Bills—the Delhi Land Reforms (Amendment) Bill and the Delhi Panchayat Raj (Amendment) Bill—are inter-connected.

Some Hon. Members: No, no.

Mr. Speaker: So, it is not approved of.

The Minister of Home Affairs (Shri G. B. Pant): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Delhi Land Reforms Act, 1954, be taken into consideration."

13.38 hrs.

* [MR DEPUTY-SPEAKER IN THE CHAIR]

This is a very simple measure, and I do not think it admits of any fierce controversy. Before referring to the salient features of the Bill, I should like to give in brief the necessary background. As hon. Members are aware, the central territory of Delhi, which before the re-organisation of States, was known as the Delhi State, was carved principally out of areas that formed part of the Province or State of Punjab. It also included a number of villages which were formerly a part of Uttar Pradesh. So, there was a bewildering variety of land tenures in the Delhi rural area. There was also a certain amount of disparity between the rights of the cultivators in one part as compared with those possessed by the tenants and others in the other parts. So, it became necessary to rationalise the whole thing, to give a superior and adequate status to the cultivators and to confer on them such other privileges as were necessary in order to raise their status and also to enable them to have the full benefit of their labour. Accordingly in 1953 a Bill was introduced in the Delhi Legislative Assembly. Ultimately, it took the form of what is now the principal Bill on the subject viz. the Delhi Land Reforms Bill, 1954.

Delhi consists mostly of the city of Delhi and New Delhi. But, still there are nearly 300 villages, the exact number being I think, 291 comprised in the Central territory of Delhi. I said 291, but besides these 291 there are 15 others. So, the total number of villages comes to 306.

Under the Bill passed in 1954, the entire area was to be governed by the provisions of the Act of 1954. But later on, it was found that there were certain areas which were vested in or controlled by the Improvement Trust. So, an Act was passed by the Delhi State Legislature in 1956 excluding these areas from the purview of the Bill of 1954. These 15 villages were

no longer entitled to the rights which had been conferred on the tenants, sub-tenants and others under the Act of 1954. They were relegated to the position which they occupied before 1954. That placed them at a considerable disadvantage. The Act of 1954 was a progressive measure. I think it is one of the most progressive Acts passed in the matter of land reforms in our country. It was based and moulded on the pattern of the Zamindari Abolition and Land Reforms Act of Uttar Pradesh, which had been passed a few years earlier. That Act of Uttar Pradesh even today, I believe is the most progressive measure on the subject of land reforms. No State has surpassed it in this matter.

So when the matter came to our notice after the Delhi territories had come directly under the Centre—that these 15 villages had been excluded—and representations were made to us by the people living in these villages we looked into this question. So far as the cultivators in these 15 villages are concerned, this was of vital importance to them. These 15 villages we found had not actually been taken into possession by the Improvement Trust. Notifications had no doubt been issued. We also found that according to the Interim Plan prepared for Delhi these villages or the lands situated in them would not be required within a measurable distance of time for extension of the Delhi city. So it seemed not only desirable but necessary to give the villagers of these 15 villages the same rights and privileges to which the people living in other villages were entitled. Accordingly we have brought forward this Bill.

It seeks to cancel and to repeal the step that had been taken previously in taking the villages out of the scope of the Act of 1954. So all those in the villages would enjoy an equal status with the other 291 villages of Delhi. It is a matter of genuine gratification to me that the disability to which they had been subjected in 1956

[Shri G B Pant]

is being removed by means of this amending Bill

Under the Act of 1954 most of the cultivators acquired bhoodari or proprietary rights. Those people living in these villages, who are connected with land, will now have a similar position, they will be able to stand the weight. The Act of 1954 abolished intermediary interests. In fact, the majority of the people living in the Delhi rural areas consist of peasant proprietors having small holdings. But there were still tenants, sub-tenants and other categories which had an inferior status. They were also to be given the status, rights and privileges of bhoodaris or proprietors on the payment of some compensation which is to be collected in a number of years in annual instalments. Well, that measure, the Act of 1954 was not implemented as is usually the case, whenever such laws are passed, an attempt was made to question its validity and an order for stay of the enforcement of the Act was also obtained. That order remained in force till about April 1956. I think—I am not quite sure of the month. But after that it came into force.

Now that is the main purpose of this Bill, i.e., that these 15 villages should now be restored to the position which they would have occupied if they had not been taken out of the 1954 Act by the amending Act of 1956. The Act of 1956 was to have retrospective effect, i.e., these villages were to be treated as being under the Improvement Trust and forming a separate category from 1954. So, this amending Bill also is to give retrospective relief to the cultivators so that its provisions will be deemed to have been incorporated in the original Act of 1954 and to have formed part of the Act that was then passed. That is the main provision.

There have been certain decrees, transfers and so on in-between since 1954 and it is proposed that these decrees etc., which are connected with

the exclusion of this area, should also be declared as null and void, so that the cultivators may have the full benefit of the 1954 Act, subject to such equities as may be necessary and also that while the rights of the cultivators which are being revived and restored should be respected, *bona fide* transfers also should be similarly protected so that justice may be done to all interests concerned.

That is one of the main provisions and originally that was supposed to be the principal and perhaps the one and the only purpose for which this Bill was to be framed. But on a scrutiny of the Act of 1954, it was found that there were certain lacunae which needed attention. So, a few provisions have been introduced in order to cure those ills and to remove those defects. Under the Act of 1954, all waste land was to vest in *gaon sabhas*. There was again another provision to the effect that all land, whether cultivated or uncultivated, which was included in the holdings, should continue to belong to the persons who own those holdings. It was found that really every bit of the uncultivated waste land was included in the holdings. So, there was an incompatibility between these two clauses. According to one the entire waste land was to vest in the *gaon sabha* and according to the definition of the holding nothing was there to be handed over to the *gaon sabha*. That error was discovered and in 1956, when this amending Act was introduced and passed, it was provided that all land other than the land which formed *sr* or *khudkash* would be treated as waste land. I am saying that in a very general way. But then it was found that this *khudkash* by itself had not been defined and one could interpret this word any way one liked. So, again that ambiguity remained.

Now, in order to clarify the position and to get rid of all these inconsistencies and anomalies, it is being provided in this Bill that *khudkash* will

consist only of such land as has been cultivated within five years or having been cultivated has not been let out to anyone else so that most of the waste land now will vest in the *gaon sabha* and, but for a few hundred acres, the vast area consisting of waste land will now become the property of the *gaon sabha*, i.e., of the entire village community. So, that is a very wholesome provision which will give not only to the villagers of these 15 villages but to the cultivators in all the 306 villages the right to possess the waste land subject to the reservations which I have mentioned. So, that is another clause which forms part of this Bill.

According to the 1954 Act, the maximum area that any cultivator could hold was fixed for the future. What might be briefly stated is that a ceiling was fixed for the future. It was to consist of a standard 30 acres, i.e., no one, who had more than 30 acres, could own or acquire any more land. Similarly, a minimum area was also fixed, what might be called a floor area, the other being the ceiling area, and it was laid down that no one would be competent to transfer any part of his holdings if what was left with him was less than eight acres. These eight acres were to be treated as the minimum holding which should not be subject to any further fragmentation. Of course, there were people who held less than eight acres. They would not be deprived of what they had. That is another feature that was introduced in this Bill on the lines of similar provisions that had been incorporated previously in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act. But, in spite of this provision, small packages of land had been transferred to Harijans since. So far as others are concerned, if the law has been infringed, we do not propose to take any special measures. But, so far as these Harijans, who could not purchase the full minimum standard area and who have somehow been able to get small plots, are concerned it would be hard on them if

they were deprived of the land. So, while not disturbing the clause itself, a provision is being made in the Bill that the Chief Commissioner will have some discretion in the case of people having less than one acre, and they may be allowed to retain them.

14 hrs.

I have just said that for the future, a ceiling of 30 acres has been fixed. But, at the time this Act was passed, no ceiling was fixed for holdings as they then existed. I have asked our Ministry to look into this matter and I hope to introduce a Bill in this session, if possible, otherwise in the next session, fixing ceiling and dealing with other matters connected with ceiling on the existing holdings. That will follow. We did not like to delay this Bill as these 15 villages are at present being put to great hardship and it was necessary to have this measure enacted without any loss of time. But, a ceiling on existing holdings is necessary and we will be bringing forward a measure, I hope during the course of the next session if not in this, but, certainly before the end of this year. That question raises many other problems and they have all to be fully examined. So, we are giving thought to that matter and that Bill will follow in due course.

Under the Act of 1954, the *asamis* were to pay rent not exceeding one-fifth of the produce. We have made an amendment to the effect that it should not exceed one-fifth of the produce or four times the land revenue whichever be less. Under this provision, the *asamis* will get, I think, substantial relief in many cases.

There was yet another reason for introducing this Bill. Under this Bill, as I said, the waste land vests in the *Gaon Sabha*. There are also certain other powers which can be exercised only by the *Gaon Sabha*. There was some discrepancy in the definition of *Gaon Sabha* between the Delhi Panchayat Act and the Delhi Land Reform Act. The Panchayat Act and the Land Reform Act are now both being

[Shri G. B. Pant]

brought on a uniform basis. All persons who are voters for Parliament in a village will be the members of the *Gaon Sabha* of that village. So, an amendment had also to be made in this Bill to the 1954 Act in order to remove the difference between the two. Otherwise, it would be unworkable and that is one of the reasons why so far that has not been fully acted upon. This is a wholesome provision. Under the existing Act, membership was somewhat vague. But, under this amendment now, it will not be open to any sort of attack on imaginary or nebulous grounds. That is another change that has to be made by means of this Bill.

I do not think it is necessary for me to deal with other matters which are of a relatively subsidiary and minor character. All those points which are worthy of appreciation and consideration have been mentioned by me. I hope the Bill will be passed unanimously. I do not quite see why it should take four hours. But, if that be the wish of the House, it may. Only my colleague Shri Datar will, with the permission of the House and of the hon. Deputy Speaker, look after the stages of the Bill that will follow as, I think, I have done my part in placing before hon. Members, I think, a clear summary of the provisions of the Bill and its succinct features and all the reasons and objects which have induced us to bring this measure before this House.

Sir, I move.

Shri Ajit Singh Sarhadi (Ludhiana): On a point of clarification, Sir, ...

Mr. Deputy-Speaker: Before I place it?

Shri Ajit Singh Sarhadi: The hon. Minister said that certain *bona fide* transfers after 1954 have been protected and the Bill does not apply. May I ask what about the consolidation of small patches which were transferred to colonists in that area who purchased small areas?

Shri G. B. Pant: I am not able to follow.

Shri Ajit Singh Sarhadi: The hon. Minister said that some *bona fide* transfers after 1954 have been protected from the provisions of the Bill. It means that *bona fide* transfers of certain areas to the colonists are protected by it. These colonists purchased areas in small patches. These patches are scattered. What provision has been made for the development of those areas which have been purchased by the colonists?

Shri G. B. Pant: I do not think there are any colonists. Small patches may have been purchased and they do not constitute, I think, any vast area. They are *bona fide* purchasers just as the other proprietors have their lands; and they deal with them as they like, so will these people. They are small areas.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member will have an opportunity of making his point clear.

Shri Ajit Singh Sarhadi: This is just a clarification I want.

It is conceded that some transfers have been made after 1954, and those transfers, if they are *bona fide*, are exempted from the provisions of this Bill. Those transfers have been made to certain refugees and others who have bought those patches for purposes of residence and building houses. They are in scattered areas, not in a consolidated form. They want to build houses. What provision has been made to consolidate them? Has the Chief Commissioner been given the power, or what is the provision about them? They cannot build them individually.

Shri G. B. Pant: Are you referring to the small patches that I mentioned?

Shri Ajit Singh Sarhadi: Not the Harijans; I mean others.

Shri G. B. Pant: So far as others are concerned, the provision about

eight acres stands generally, but we have made a provision that *bona fide* transfers will be protected, and given authority to the Chief Commissioner to look into these matters. If there are any cases which call for sympathetic consideration, in order that justice may be done to all concerned, he will have the opportunity of doing so.

Shri Radha Raman: I want to know

Mr Speaker: He will make his points clear, and then perhaps the hon Minister will have an opportunity of replying to them.

Motion moved

"That the Bill further to amend the Delhi Land Reforms Act, 1954 be taken into consideration"

श्री प्र० सि० बीलता (सज्जर) जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं इस बिल के मकसिद एम्स एंड ब्राबजेक्ट्स से पूरा इतिफाक रखता हूँ और उनकी हिमायत के लिए खड़ा हुआ हूँ। भलबत्ता तफसील में जाकर कुछ एखलाफ है और मैं उस मिलमिले में कुछ अपने मुझाव रखूँगा।

पहला प्वाएट मेरा उन १५ गावों के बारे में है जिनका कि मंत्री महादय ने जिक्र किया। सन् १९५६ में इन गावों को प्रिमिपल ऐक्ट की आबिद से निकाल दिया गया था उनको अब इस ऐक्ट की जद में लाया जा रहा है और मुझे इस कदम की हिमायत करने में खुशी है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह समझने से कासिर हूँ कि बोनाफाइड परचेजर्स को प्रोटेक्शन देने की बात और उन मुजारों को जो कि वहा से बेदखल हुए थे, उनके मुतालिक एम्स एंड ब्राबजेक्ट्स में जो यह लिखा हुआ है कि उनको उनकी पोखीशन पर लाना है, कोशिश यह होगी उनका स्टेट्स उनको रेस्टोर किया जाय, वह कैसे हो सकेगा? यह दोनों बातें आप एक साथ कैसे कर सकते हैं? मैं देख रहा हूँ कि दोनों मंत्री महोदय

भापस में महाविरा करने में लगे हुए हैं और इसलिए शायद वह मेरे प्वाएट को न सुन सके होंगे

उपाध्यक्ष महोदय : भापकी निस्वत ही महाविरा हो रहा है। आप आगे बलिये।

श्री प्र० सि० बीलता : मैं डिप्टी स्पीकर साहब की मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान अपनी तरफ कराना चाहता हूँ।

Mr. Deputy-Speaker The hon Member has complained that he is not being listened to

Shri G. B Pant: I am sorry The complaint is, I think, justified

श्री प्र० सि० बीलता मेरी भ्रज यह है कि जहा तक भापके बिल के एम्स एंड ब्राबजेक्ट्स का ताल्लुक है बिल की नीएय्यत का ताल्लुक है, मुझे उममे पूरा इतिफाक है और मैं उसके लिए गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना हूँ। तफसील में मुझे जरूर एखलाफ है और मैं उसके लिए कुछ मुझाव देना चाहता हूँ।

पहली चीज ता जा मैं भ्रज करने लगा हूँ वह यह है कि १५ गाव जा कि १९५६ में प्रिमिपल ऐक्ट की जद से बाहर निकले थे वह किल के गाव है। उनमें मे ४ गाव तो उन नैडलाइंड्स के है जिन्ने १९५३ में बनौर इनाम के मिले थे। उन गावों के जो जागीरदार है वे तकरीबन मारे बान्मुख नाग थे और उन्होने अपने स्मूच में बटनी टूई कीमनो में फायदा उठाने के लिए वानून की जद में निकलवा लिया। मुझे डर है कि यह बोनाफाइड परचजर को प्रोटेक्ट करने और मुजारों को अपनी पुरानी पांजीशन पर बहाल करना इन दोनों चीजों में टकराव है। जहा तक मुमकिन हो सकेगा आप उनको प्रोरिजनल पोखीशन पर रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह कैसे हो सकेगा?

श्री प्र० बी० पन्त : वह तो केवल एक एकड तक ही है और वह कुल ऐरिया जो बोनाफाइड ट्रान्सफर है वह बहुत थोडा है।

श्री प्र० सि० बोलता : वह वही एक एकड़ हो या एक इंच हो मेरी शर्त यह है कि अगर वहां पर एग्रीकल्चरल कायत हो रही है फसल लड़ी है, "दूट शुड बी रेस्टोर्ड टु दी टेनेन्ट"। जेरे कायत जमीन के ऊपर मुजारे को बहाल कर दिया जाय लेकिन वह जमीन जो बिल्डिंग के नीचे था चुकी हो और वह दो या तीन एकड़ हो उसे इस प्रमॉडमेंट से बाहर निकाल दिया जाय।

श्री गौ० ब० पंत : हरिजनों के बारे में क्या राय है ?

श्री प्र० सि० बोलता : हरिजनों के बारे में मैं मंत्री महोदय से बिलकुल एग्री करता हूं कि उनसे नहीं ली जानी चाहिए वही एक एकड़ हो, दो एकड़ हो या तीन एकड़ हो। वह उनके पास बनी रहने दी जाय और मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है।

रिपोर्ट को मैंने देखा है और मैं इस में उनसे पूरी तरह मुतफिक हूं कि क्लाज २० जिसमें कि १ जनवरी १९५७ को डे रखी गई है, यह डेट बिल की कमेंट होने तक ऐक्सटेंड कर दी जाय। मैं जानता हूं कि बहुत से भाई इस चीज से सेटिसफ्राइड नहीं हैं और वह इस डेट को पीछे ले जाने के लिए प्रमॉडमेंट लाये हैं। यह वही एलिमेंट है जिसने कि सन् १९५६ में कानून की जद से बाहर निकाला था वही अब वह प्रमॉडमेंट ला रहे हैं कि यह तारीख पीछे धकेल दी जाय। वे उनके घर में न आयें।

दूसरा प्वाएंट जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा और जिसका कि जिक्र प्रिंसिपल ऐक्ट की दफा ७ में आया है और जिसको कि इस प्रमॉडमेंट बिल के क्लाज ५ में टैकिल किया है, मालूम ऐसा पड़ता है कि मंत्री महोदय इस इंप्रेशन में हैं कि वह सारी जमीन वेस्ट लैंड है। पीजेंट प्रोपराइटी की यह बिल्ट जो कि पंजाब से मेरठ डिवीजन तक चली गई है और जिसके कि दिल्ली बीच में पड़ती है, तो दिल्ली के गांवों की बिलेज एकोनामी

नहीं है जो पंजाब के गांवों की है। पंजाब में जहां सिर्फ वे ग्राम सभा में वेस्ट करती हैं वहां वहां पर मिलिकयत तकवील होती है। अब कांस्टीट्यूशन के मुताबिक कम्पेंसेशन का सवाल पैदा होता है। अब वेस्ट लैंड के अलावा गौरादेह, ललिहान, बेटोड़ा, गतोड़ा यह भी इसी जमीन में शामिल हैं जो कि ग्राम सभा को मिलने लगी है। यह वह जमीन है जो इन छोटे छोटे मालिकों ने अपनी होल्डिंग्स में से पूल की थीं और जब छोटी छोटी जमीनों के मालिकों की यह मिलिकयत ग्राम सभा को ट्रांसफर होने लगी है तो हम को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके कम्पेंसेशन का जो मियार है वह बहुत थोड़ा है। प्रिंसिपल ऐक्ट के सैक्शन ७ में जो कम्पेंसेशन का मियार रखा गया है वह लैंड रेवेन्यू से तीन चार गुना है। जो कि बहुत थोड़ा है। दिल्ली में जमीन की चारों तरफ़ ज़मीन बहुत अधिक बढ़ रही है और इसलिए यह जो लैंड रेवेन्यू का फ़ोर टाइम्स रखा गया है वह बहुत थोड़ा है। हाईकोर्ट में जब वह मामला गया तो उसने प्रिंसिपल ऐक्ट का अप्रेशन बंद कर दिया था और यह कराए दे दिया था कि जब तक जमीन का उचित कम्पेंसेशन न मिले तब तक इस ऐक्ट पर अमल न हो और मेरी शर्त यह है कि आप उसके उलटा कर रहे हैं। जमींदारों को मिलने वाला मुआविजा थोड़ा है।

श्री ज० कृ० नाथर (बाह्य दिल्ली) : थोड़ा मिलने पर भी वह जमीन आखिर गांव सभा को ही तो जायेगी जिसका कि वह भी मेम्बर है।

श्री प्र० सि० बोलता : मेरे लायक दोस्त इस कानूनी बात को नहीं समझ सकेंगे। यह कोई पब्लिक लेक्चर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बात किसी मेम्बर साहब के खिलाफ़ कहना ठीक नहीं है।

श्री प्र० सि० बोलता : माननीय सदस्य मेरी बात तो पहले सब से चुप हैं फिर टोकें।

उपाययुक्त महोदय : ऐसा कहना ठीक नहीं है ।

श्री प्र० सि० हीलता मेरी धर्य है कि कम्पेंसेशन का स्टैंडर्ड बहुत थोड़ा है । अभी तक दो इस्टालमेंट्स में था अब वह चार इस्टालमेंट्स में कर दिया गया है । अब हाईकोर्ट का जो इन बारे में सुझाव है उससे उलटा चल कर बजाय दो के चार इस्टालमेंट्स में कर दिया और इस्टालमेंट्स पर जो सूद मिलेगा वह बहुत कम रखा गया है, डार्ई परसेंट सूद रखा गया है जब कि वह कम से कम साठे चार परसेंट होना चाहिए । आखिर गवर्नमेंट में डार्ई परसेंट सूद कहा है ? मेरी समझ में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत थोड़ा है । एक आनरेबल मेम्बर ने कहा था कि वे भी ग्राम सभा में शामिल होंगे । वे भी शामिल हैं, नान-पेजेंट प्रोप्राइटर भी शामिल हैं, सारे गांव के लोग शामिल हैं । इसी प्रिंसिपल की बिना पर तो मैं कहता हू कि गांव सभा में वेस्ट होना चाहिए । इस में कोई डिस्पूट नहीं है । आप ने यहाँ जो कास्टीच्युशन बना रखा है, उस में जो राइट्स दे रखे हैं, उन के मातहत पेजेंट प्रोप्राइटर को जो कुछ मिलता है, वह क्यों न मिले ? इस सोशलिज्म की आप बड़े बड़े सेटो और लैंडलाइज्म में क्यों न शुरू करें ? आप इस को पेजेंट प्रोप्राइटर में क्यों शुरू करते हैं ।

मेरा दूसरा प्वायट प्रिंसिपल ऐक्ट के संकलन ७ के बारे में है, जो कि इस बिल की क्लॉज ५ में डील किया गया है । मैं यह धर्य करना चाहता हू कि पेजेंट प्रोप्राइटर से जो कामन लैंड ली जाती है, उस के कम्पेंसेशन का मंथार बलन्द हो । अगर इन्स्टालमेंट्स में ही देना है—आप चार इन्स्टालमेंट्स में दे रहे हैं—तो डार्ई परसेंट इन्टेस्ट बहुत थोड़ा है । यह ज्यादा होना चाहिए ।

सुलकिसमती से हमारे मंत्री महोदय बड़े जवाबीदा बुलुर्ग हैं । यह बड़ी काफ़ियत रखने हैं हिल्ड्री की और सोशियलोजी की

भी । मैं प्रिंसिपल ऐक्ट के मन्थान ३३, जो कि इस बिल की क्लॉज १२ में डील किया गया है, के बारे में कुछ कहना चाहता हू । मंत्री महोदय चाहते हैं कि छोटे छोटे किसानों की जमीन के स्टैंडर्ड पर कुछ रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ताकि उन के पास धन-इकानोमिक होल्डिंग न रह जायें । मुझे इस बात से पूरा इतिफाक है, लेकिन मैं मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हू कि दिल्ली के चारों तरफ़ कभी किसान बसा करने थे । जो धाज रह गये हैं, उन में धाज बड़ी सेन्स धाफ़ इनसिक्वोरिटी है और वह महज सेल या ट्राफ़र से नहीं हो रही है । गवर्नमेंट भी उन की जमीनों को एक्वायर करती है । धाज बिजिनेस कम्पनिटी वाले सोसायटीज बना कर किसानों से उन की जमीनें ले रहे हैं और उन को वहा से बेदखल कर रहे हैं और उन की इकानोमिक होल्डिंग छीन रहे हैं । जो रेस्ट्रिक्शन धाफ़ चाहत है वह बड़ी माडी है । जिस जगह धाज यह पार्लियामेंट हाउस बना है, जहा धाज रायसेना है, वहा किसी समय किसानों के खेत हुआ करता था । मैं यह धर्य करना चाहता हू कि यहा मात गांव मेरी गाँव—मेरी बिरादरी के थे । धाज मैं उन में से एक फ़ैमिली को भी ट्रेस नहीं कर सकता । पता नहीं वे लखनऊ चले गये, ५० पी० में धाबाद हो गये, या कहा चले गये, बर्बाद हो गए । एक तमाशा बना हुआ है । कुछ लोग १९४७ से दिल्ली में धाकर बसे हैं, जो पैसे वाले हैं और इडस्ट्री प्रो करना चाहते हैं, जो लोकल लोग हैं, जो कि पैसे वाले हैं । वे किसानों की जमीन हथियाना चाहते हैं । वे सरकारी मुलाजिमों से मिल कर धपना काम करते हैं । वे किसी गांव में जाते हैं—जैसे मुनीरका गांव में जाते हैं और किमानो से कहते हैं कि इस भाव पर जमीन दो । किसान कहते हैं कि हम नहीं बेचते, हमारा गुजारा इसी पर है । तो वे कहते हैं कि फ़र्मां महकमा इस की एक्वायरी करेगा फिर सबमुब उस महकमे के लोग वहा चले जाते हैं । इस तरह मिल कर जमीन हासिल

[श्री प्र० सि० बीलगा]

करने की कोशिश की जाती है। मैंने कल स्टेट्समैन में पढ़ा कि १०० एकड़ जमीन प्राइवेट इन्स्ट्रुमण्ट्स के लिए एक्वायर की जाएगी यहाँ दिल्ली के किसानों से— उन किसानों से जिनके जिस्म पर कपड़ा नहीं है, हालाँकि वे कपास पैदा करते हैं, जिनको गुड़ पैदा करने के बावजूद चीनी का दाना नहीं मिलता है। उनकी जमीन मार्केट वैल्यू से कम भाव पर एक्वायर करके उन लोगों को दी जाएगी, जो कि हवाई जहाजों पर चढ़ने वाले हैं, जिनके पास कारें और कोठिया हैं, जिनके पास कारखाने हैं। इंग्लिश हिस्ट्री इस किस्म की मिसालों से भरी पड़ी है कि जहाँ धरबनाइजेशन होती है, वहाँ भास-पास रहने वाले किसानों पर क्या क्या मिजरीयें आती हैं। हिन्दुस्तान में एक फिल्म “दो बीघा जमीन” तैयार हुई थी, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह एक किसान खेती करता है और किस तरह एक कारखाने वाला उसकी जमीन छीन कर वहाँ पर कारखाना बनाता है। दिल्ली में चारों तरफ किसानों की जमीन थी। मैं समझ नहीं सकता कि उनकी हिफाजत के लिए सेशन ३३ क्या करेगा। सात सात, आठ आठ गांव दिल्ली सैण्ड फाइनेंस वाले एक्वायर करा रहे हैं। इसी तरह दूसरी कम्पनिया भी एक्वायर करा रही हैं। इन्स्ट्रुमेंट्स की घोषणा के नाम पर किसानों की जमीन पर छापा मारा जा रहा है। आज चारों तरफ किसान सहमे हुए हैं कि हमने कौपीटल के चारों तरफ बस कर क्या गुनाह किया था। मैं मन्त्री महोदय से दरखास्त करना चाहता हूँ कि उनके लिए कोई न कोई प्राविजन जरूर किया जाय। यहाँ पर इतने बड़े बड़े जो बगले बने हुए हैं, उनको ढाकर प्राप फ्लैट बनाइये। कहा जाता है कि वहाँ सैकण्ड स्टोरी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इससे इनकानवीनिएन्स हो जायगी। मैं धर्र करना चाहता हूँ कि किसानों का भी तो कुछ हक है। आज क्या होता है? दफ्तर में एक इंजीनियर पैसिल से

एक लकीर खींच देता है और बाउण्डेड आफ फैमिलीय की फ्रंट का फँसला हो जाता है। मैं रिफवेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट किसानों की जमीन बड़ी एह्तियात से हासिल करे। वह उसको प्राइवेट इन्स्ट्रुमेंट्स के मालामालों को मुफ्त में न दे दे, जो कि कारखाने कायम करके करोड़ों रुपए कमायेंगे। जब तक प्राप तीन, चार, पाँच मजिलें बना सकते हैं, तब तक देहात में फैलने और किसानों को उजाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सेशन ३३ दिल्ली के चारों तरफ बसे हुए किसानों को नहीं बचा सकेगा, जब तक कि एक्ट में बड़ी तबदीली न की जाय और गवर्नमेंट की पालिसी को न बदला जाए। अगर गवर्नमेंट को जमीन की जरूरत है, तो मार्केट वैल्यू से कम पर लेना कोई मुनासिब बात नहीं है। रोमन ला में किसी के घर को प्राप लगाना सबसे बड़ा आफेन्स माना गया है। यहाँ पर जेनेरेशनल ट्रेडीशन-रिडन लोग हैं, जो कि सात सात गोट में शादी नहीं करते। मा को छोड़ देते हैं, भाई को छोड़ देते हैं, जो कि बिरादरी से कनेक्टिड है। प्राप उनको उजाड़ते हैं। प्राप कम से कम मार्केट वैल्यू में दस गुना ज्यादा पैसा तो उनको दीजिए, तार्कि वे अपने प्रापको रीहैबिलिटेड कर सकें। आज दिल्ली के चारों तरफ किसानों की प्राबादी उजाड़ती जा रही है।

एक माननीय सदस्य वह तो सुन नहीं रहे हैं।

श्री प्र० सि० बीलगा

They are not concerned, they are concerned with the *lala*, who is sitting with them

जिस मेम्बर की असेंबलमेंट आई है, वह मन्त्री महोदय की तबज्जह अपनी बातों की तरफ दिलाना चाहता है, तो वह स्पीच दे सकता है, लेकिन वह लोगों मजिस्टों को लेकर बैठ जाय, क्या यह मुनासिब है?

Mr. Deputy-Speaker: Again the same complaint is being made

श्री प्र० सि० बीलता . मैं स्पीच दे रहा हूँ और दोनो मिनिस्टर एक आनरेबल मेम्बर से बात कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय इस की शिकायत तो तब होगी, जबकि आपके प्वायण्ट का जवाब नहीं दिया जायगा ।

श्री प्र० सि० बीलता मैं जानता हूँ कि मिनिस्टर साहब भी मेरी तरह ह्यूमन बीईंग हैं । उनके पाम हरदयाल का दिमाग नहीं है कि वह मात आदमियों की बात एक साथ सुन सकें । मुझे मालूम है कि वह दिल्ली के लासा राधा रमण की बात सुनेंगे, तो फिर इस जाट की नहीं सुनेंगे । उन की आवाज में स्वीटनेस है, जबकि मेरी आवाज कड़वी है । मैं तो चाहता हूँ कि वह मेरी स्पीच को सुने ।

श्री वाळपेंथी (बलरामपुर) श्रीमन् यह लाला और जाट की बात ठीक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय मझे भी इस पर ऐतराज है । मेम्बर माहब को ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए । शायद ऐम लफ्ज इस्तेमाल करके मेम्बर साहब अपनी स्पीच दूसरों का सुनाना नहीं चाहते हैं । इस तरह के लफ्ज कानों को अच्छे नहीं लगते हैं । आप मिनिस्टर साहब की तबज्जह अपनी तरफ दिना सकते हैं कि वह आपकी स्पीच को सुने और वह सुनेंगे लेकिन तेजी मैं आकर इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करना ठीक नहीं है ।

श्री प्र० सि० बीलता मैं ज्यादा बक्त न लेता हुआ यह कहना चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब आनरेबल मेम्बर श्री राधा रमण से मोहतात रहे । यह डेट पीछे न चली जाए । यह वही इनपसुएन्स है, जो कि पन्द्रह गावों को बाहर ले गया था । इसी लिए मुझे डर लगता है ।

एक माननीय सदस्य आप भी वहीं बैठ सकते हैं ।

श्री प्र० सि० बीलता मैं बड़ा कहा बैठूंगा ?

आखिर मैं मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जहा तक क्लाज ? का ताल्लुक है, मुझे उससे पूरा इतिफाक है । मुझे भिर्फ यह रिक्वेस्ट करनी है कि चीफ कमिश्नर के अस्तियागत दूसरी चीजों से कम न हो । जा मुखारे बेदमन हुए हैं जिनकी फसलें खड़ी हैं, उनको मुभावजा मिले ।

क्लाज ७ के बार में मैं यह अर्ज करना चाहना हूँ कि जिन पेजेन्ट प्रोप्राइजर्स की जमीन ग्राम मथा में वेस्ट हानों है उनका स्टैण्डर्ड में कम्पे मेगन मिलना चाहिए । अगर उनका इन्ट्रेस्ट देना है, तो उनको वह इन्ट्रेस्ट ना दिया जाय, जो कि गवर्नमेंट भकान बनाने के लिए दिग जाने वाले लोन पर चार्ज करनी है—उनको कम से कम साठे पाच परसेट इन्ट्रेस्ट तो दिया जाना चाहिए । आखिर में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आज दिल्ली के चारो तरफ किमानो की जमीनो पर डाके पर गज है और उनकी जेबें कतरि जा रही हैं । आज कानून के त्रिग्य बागों में बैठ कर जमीनो को जिस तरह से लिया जा रहा है उसम किसानो के अन्दर बड़ी बेचैनी है । मैं पूरना चाहता हूँ कि इन बेचार किमानो ने क्या कयूर किया है ? य आपकी प्राटे, दान के हकदार है और आपको चाहिये कि आप इनका प्राटे रेशन दे । आज उनके अन्दर बड़ी इन-सिक्योरिटी है बनी बेचैनी है । आप भेस बदल करके उनके बीच में जाये तब आपको उनकी धमली ज्ञानत का और उनकी शिकायतो का पता चल सकेगा । आज उनको डर है कि उनकी जमीन पर किसी भी महकमे की किसी भी बक्त पैमिल चल सकती है । इस वास्ते

[श्री प्र० सि० दीला]

में चाहता हूँ कि जब धाप उनकी जमीन में तो उसकी कीमत से पांच गुना ज्यादा धाप उनको दें। यह राशि अगर धाप चाहे तो एकदम वे सकते हैं या किसी धीरे तरह से दे सकते हैं लेकिन यह देखना धाप का फर्ज है कि वे अदालतों में जाने पर मजबूर न हों।

इन अफवाहों के साथ जो बिल यहाँ रखा गया है, इसकी मैं हिमायत करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसका जो मकसद है, वह ठीक डायरेक्शन में है।

श्री च० कृ० नरवर उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एमोंडिंग बिल हॉम मिनिस्टर साहब ने इस सदन में पेश किया है, इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और मैं समझता हूँ यह उनकी भलमंती और उनकी विशाल सहृदयता का एक नमूना है।

इस बिल का मकसद उन १५ गावों को जो कि पहले वाले बिल से महकूम रह गये थे भूमिधारी के हक देना है। इसके लिए पिछले दो सालों में ज्यादा धर्म से गावों वालों में परेशानी चली आ रही थी और वे इस चीज की माग करते आ रहे थे। वे लोग हमारे पाम भी धाप और हमने इस मामले का एडवाइजरी कमेटी में भी उठाया जो कि दिल्ली की है और इस मामले में पर खोर दिया। आखिर सरकार ने यह फैसला किया कि इसको खरू लाया जाए। इसका कारण यह बताया जाता है कि क्योंकि वे १५ गाव अभी फिलहाल डिबेलपमेंट में नहीं धाने वाले हैं, इस वजह से यहाँ भी इस कानून को लागू किया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर ये गाव डिबेलपमेंट में आ भी जायें तो भी यह कानून वहाँ लागू होना चाहिये। इसका कारण यह है कि दिल्ली के कई गांवों डिबेलपमेंट में अब नए धाते जा रहे हैं और इसका यह मतलब नहीं है कि वहाँ किसान नहीं रह सकेंगे या जो मुधाबजा है वह जमींदारों को ही मिल सकता है, किसानों को नहीं मिल सकता है। जो मुधाबजा जमी-

दारों को मिलेगा वही वहाँ के किसानों को बिल जाएगा, इसमें हर्ष की क्या बात है। किसानों को भूमिधर के नाम से वही मुधाबजा मिल सकता है। इसलिये हर हालत में इन १५ गावों को उन प्रतिबंधों से हटाना लाजिमी था। इसका कुछ भी कारण रहा हो, हमें खुशी है कि आज यह किया जा रहा है और मैं गाव वालों की तरफ से और खास तौर पर वहाँ के किसानों की तरफ से अपने होम मिनिस्टर साहब को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने यह कानून यहाँ लाने का फैसला किया और जल्दी लाने का फैसला किया और मैं आशा करता हूँ कि यह बिना किसी बिरोध के यहाँ पास हो जाएगा।

जैसा होम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में कहा, पिछले कानून में कुछ खराबियाँ थी जिनको दूर करना जरूरी हो गया था और खुद-कास्त के बारे में उन्होंने कहा कि दो प्रकार की डेफिनिशंस होती हैं। एक तो वह जमीन होती है जो गवर्नमेंट नैड होती है य बजर जमीन जिम को कहते हैं और वह भी किसी न किसी बात पर जमींदारों के कब्जे में आ चुकी थी। इसलिए यह कहा गया है कि यह जमीन मचमुच खुद-कास्त में आ सकती है लेकिन कई लोग ऐसा भी कहते थे क्यों। उममें वह नहीं आ सकते थे। जब तक वे खुद-कास्त न करें और कभी किसी बस्त वह उनके नाम चढ़ गई इसलिए वे उनके हकदार हैं। यह सही नहीं था। इसलिए दानों में मतभेद हुआ और आखिर गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि मचमुच खुद-कास्त वह है जिसकी जमीन घसल में कास्त में आ चुकी हो और बाकी जितनी जमीन हो वह बजर मानी जाएगी और वह घाम सभा को चली जायगी। मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी मेहरबानी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने हम कास्तकारों पर की है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश का जो एक्ट है नैड रिफार्म्स एक्ट वह बहुत बड़ चढ़ करके है,

काफी एडवांस पीस थाफ लैजिस्लेशन है और दिल्ली में भी उही माइंस पर चलने की कोशिश की गई है।

लेकिन एक दो बातें हैं जिनकी तरफ में आपका ध्यान दिलाना चाहना है। एक बात जो हरिजनो की है जिनके पास कोई जमीन ऐसी नहीं है जिसको कि वे अपनी कह सकें। इसमें सीलिंग का कुछ पक्के तौर पर फ़ैसला नहीं किया गया है। एक सीलिंग तो है और वह यह कि तीस एकड़ से ज्यादा जिसके पास जमीन है वे बेच सकते हैं, जिनके पास इससे कम जमीन है वे बेच नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, जायदाद वाले भी हैं कि अब उनसे जमीन गवर्नेमेंट की तरफ से नहीं ली जाती है। इसलिए सीलिंग होने पर शायद बची हुई जमीन को लेना पड़ेगा और मिनिमम घाट एकड़ रखी गई है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जमीन न बेचे जिसके पास घाट एकड़ से कम बेचने के बाद रह जाती हो क्योंकि उस दशा में वह एक इकोनॉमिक यूनिट नहीं रह जाता है। इस दृष्टि से यह प्रतिबन्ध लगाया गया मालूम देता है। घाट एकड़ से अधिक जमीन जिनके पास है उसके लिए घाट एकड़ अपने पास रखना लाजिमी है और उसमें ऊपर जमीन वह बेच सकता है। हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने यह वादा किया है कि एक नया कानून इन दोनों खराबियों को दूर करने के लिए जल्दी ही, एक साल के अन्दर अन्दर, लाने की वह कोशिश करेगे और उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि हरिजनो को कुछ हकूक मिल जाये। मैं शीलता साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है। हरिजनो को जमीन मिलनी चाहिये, इसमें उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह बात उन्होंने शाबाशी की कही है।

श्री राधा रमण जी ने एक धर्मेडमेट दिया है जिसमें कहा गया है कि जो जमीन

१९५४ और १९५६ के बीच में बेची गई थी उसको बोनाफाइड परचेजर्स वे खरीदा, इसलिए इस चीज को कानूनी करार दे दिया जाए इन १५ गावों में भी। मैं इसको सही नहीं समझता हूँ क्योंकि बोनाफाइड परचेजर्स का क्या मतलब है? परचेजर्स तो हमेशा बोनाफाइड ही होता है, वह अपना हक लेता है। लेकिन सोचना यह है कि जो सैलर है वह बोनाफाइड है या नहीं है। जो बड़े बड़े जमींदार हैं और खास करके वे जो शहरो में बैठे हुए हैं और गावों के गावों के मालिक हैं और जिनका इन १५ गावों में काफी जोग है वे इस वास्ते जमीन को बेचते हैं कि उनकी जमीन के मुजायरे भूमिधर न बन जायें। इसलिए हमारा कानून कहता है कि यह मांगे चीज उनकी सच्चाई और ईमानदारी पर है। परचेजर्स को कोई दाय नहीं देना है, वे हमेशा बोनाफाइड हैं। हर को-चाहेगा कि जहाँ भी जमीन सस्ती मिले क्यों न वहाँ से खरीद ली जाए। दिल्ली में तो आजकल जमीन की फी गज कीमत २० रुपये, ५० रुपये, १५० रुपये और २०० रुपये तक पहुँच चुकी है इसलिए परचेजर्स हमेशा बोनाफाइड हैं। हमें देखना यह है कि जो बेचने वाला है वह बोनाफाइड है या नहीं है और अगर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसने अपने मुनाफे के लिए, अपने नीचे धाम करने वाले मुजायरो को धोखा देने के लिए, उनके हकूक से उनको महरूम करने के लिए इस जमीन को बेचा है या बेच रहा है। इस तरह से यह मुनाफा शब्द धोखे में यहाँ रख दिया गया है और मैं समझता हूँ कि श्री. राधा रमण जी अपने सशोधन को वापिस ले लेंगे क्योंकि उससे गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं होता है। जो जमीन बेच दी गई है उसके बारे में कुछ अगर तरसीम हो भी सकती है तो इतनी ही हो सकती है कि उस जमीन का जो मुआबजा मिलेगा उसका वह भूमिधर भी हकदार बने। जो उस जमीन का मालिक बनने वाला है, उसका हिस्सेदार जो भूमिधर बनने वाला है, जो मुजायरा है, उसको भी उसमें हिस्सा मिलना

[श्री च० कृ० नायर]

चाहिये। यहाँ तक तो कम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन इसकी भी मैं कोई जरूरत महसूस नहीं करता हूँ। इसका कारण यह है कि ये १५ गाँव जो कि डिबेलपमेंट के मातहत आने की वजह से पिछले कानून से महकूम रहे गये वे उनको भी मुक्ति देने प्राप्त जा रहे हैं और उनसे रहने वाले किसान भी भूमिधर बन सकते हैं तो फिर उसके दमियान इस बीज को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वास्ते मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हो सके उस एमेंडमेंट का हमें विरोध करना चाहिये और मैं आशा करता हूँ कि राधा रमण जी भी उस एमेंडमेंट को वापिस ले लेंगे।

एक स्थानीय सदस्य अग्रर नहीं लगे तो गिर जाएगी।

इस के बाद पचायत राज बिल यहाँ इंट्रोड्यूस होने वाला है उस के लिये भी मैं गवर्नमेंट को बधाई देना हूँ क्योंकि पचायत राज ऐक्ट के मातहत हमारे गाँवों का सगठन बहुत जोरों से होने वाला है जैसा हमारा प्रधान मंत्री साहब कहते हैं कि हमारे आइडन में मारे देश के लिये जा बहुत बड़ा आदर्श है, पार्लियामेंटरी डिमांड्स और सोशलिस्ट रिपब्लिक कायम करने का उस का अमली तर्जुमा गाँवों में ही होने वाला है। इसलिए जब तक गाँवों की पचायतों को मजबूत नहीं किया जाता, इस आदर्श की पूर्ति हानी मुश्किल है। इस के लिये गवर्नमेंट ने जल्दी में जल्दी पचायत राज बिल लाने का वादा किया है और वह आने वाला है। मैं इस के लिये फिर गवर्नमेंट को बधाई दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उस में जहाँ तक हो सकेगा ज्यादा में ज्यादा प्राविजन रखे जायेंगे ताकि उस में लोग ज्यादा फायदा उठा सके। हालाँकि यह बिल दिल्ली स्टेट में पेश किया गया था लेकिन चूँकि दिल्ली की हुकूमत को कोई अधिकार नहीं था इसलिये उस पचायत राज ऐक्ट के अन्दर किमानो के लिये या ग्राम वालों

के लिये जुद्धिल पावर देना उन के लिये नामुमकिन था। इसलिये मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। अब चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधा यह बिल आया है इसलिये

उपाध्यक्ष महोदय इस का धन्यवाद तो उसी वक्त चाहिये जबकि वह इंट्रोड्यूस हो जाय। पता नहीं उस में क्या होगा।

श्री च० कृ० नायर इन वजूहात से मैं इस बिल का तहेदिल से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह बिना किसी विरोध के पास हो जायेगा।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित अनुसूचित जातियाँ) एक कवि ने कहा है आशा है तो चमकेगी किरणें प्यारी उज्ज्वल, तब तक लहरो में तरणी तिरने दो अवरिल।

मैं अपनी बान सन् १८५७ में शुरू करता हूँ। यह गाँव

उपाध्यक्ष महोदय आप बहुत पीछे चले गये आज तक आने में बहुत वक्त लगेगा।

श्री नवल प्रभाकर इस विधेयक में उस का पूरा सम्बन्ध है इसलिए निवेदन करता हूँ।

सन् १८५७ में जब हम ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी उस समय इन गाँवों में, जिन में कि वजीरपुर, चौकड़ी मुबारकाबाद, आजादपुर आदि गाँव थे उन्होनें काफी हिम्सा लिया और अग्नेजो के खिलाफ लोहा लिया था, छोटे छोटे बच्चों का छोड़ कर बाकी सब जवानों का एक लाइन में खड़ा कर गाली में मार दिया गया था, अगले विधवा कर दी गई थी और जिन लोगों ने अग्नेजो की हिमायत की थी उन को यह यह जमीनें बख्शीष में दी गई थीं। यह कहानी वहाँ में शुरू होती है। हिन्दुस्तान आजाद

हुआ, उस के बाद उन किसानों के दिन में एक प्रेरणा हुई, उन को एक खुशी हुई कि चाहेद उन को वह हक मिलेगा। सन् १९५२ में एक भूमिसुधार कमेटी बनी दिल्ली विधान सभा में। उस के बाद सन् १९५४ का अधिनियम बना और अधिनियम बनते ही उन को बहुत खुशी हुई। लेकिन जैसे ही वे खुश हुए, उस खुशी पर तुषारपात हो गया। उन को निराशा का मुह देखना पडा। दिल्ली विधान सभा में एक नया विधेयक प्रा गया और उस में यह कहा गया कि यह जो पन्द्रह गांव हैं, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के और वेस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के, वे उस अधिनियम से बांचित रहेंगे और उन को भूमि-धरी अधिकार नहीं मिलेंगे। प्राप कल्पना कीजिये उन लोगों को जिन के मन के अन्दर भावना थी कि जो उन का १०० वर्ष पुराना इतिहास है उस को फिर दोहरायेंगे और वे फिर भूमि के मालिक बनेंगे। एक भास आदमी तोड़े और उस के मुह के पास वह चला जाय उस के बाद वह उस में छीन लिया जाय, वही अवस्था उन लोगों की हुई।

प्राज प्रसन्नता की बात है कि उन पद्रह गांवों की जो चिन्न अधिनाया थी वह प्राज पूर्ण होने जा रही है। उन का बच्चा बच्चा प्राज माननीय गृह मंत्री को दुपारों दे रहा है। उन के घर घर के अन्दर प्राज खुशी है कि जिस दिन यह विधेयक अधिनियम बनेगा और उन की भूमिधरी के प्रमाण पत्र मिलेंगे, उस दिन उन की आकांक्षा पूरी होगी। सरकार की भी इच्छा है कि उन को वह खुशी नसीब हो। मैं चाहता हू कि अब कानून का कोई ऐसा अडगा न हो जिस से जैसा सन् १९५६ में हुआ वैसा ही फिर हो जाय। उस समय एक क्लाइ का बिल प्राया दिल्ली विधान सभा में, उस पर बहस भी नहीं हुई और केवल प्राधे घंटे में वह पास हो गया और उन लोगों की आशाओं के ऊपर एक तरह से पानी फेर दिया गया।

अब मैं विधेयक के ऊपर प्राता हू। सन् १९५४ के अधिनियम की जो ८वीं

पारा है उस के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हू कि उस में गावों की आबादी का जिक्र है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस संदर्भ में हरिजनों के बारे में कहा, किन्तु मैं चाहता हू कि उस में पूर्णतया इस बात का स्पष्टीकरण हो कि जो अनुसूचित लो। हैं, या नामऐग्रिकल्चरल आदमी हैं, और जो गावों की आबादी में बैठे हुए हैं, उन का क्या होगा। इस अधिनियम के देखने में ऐसा ज्ञात होता है वह जमीन उन के लिये है, किन्तु जब का रूप में देखते हैं तो वह जमीन उन की नहीं होती है। वह जमीन जिस के ऊपर उन के मकान बने हुए हैं, जिस के ऊपर उन के दादा और परदादा से ले कर प्राज लोग बैठे हुए थे और बैठे हुए हैं, वह प्राज उन की नहीं है। प्राज यदि उन को अदालत में जाना पडता है तो एक हरिजन की, जिस का वहा पर दोमजिला मकान बना हुआ है, जमानत नहीं ली जाती है और उम से कहा जाता है कि तुम्हारे पास पट्टा — हा है ? तुम्हारे पाम लिखत कहा है ? मैं चाहता हू कि यदि सम्भव हो सके तो इस विधेयक में ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि उन की भी इस तरह का कोई प्रमाणपत्र दिया जाय जिस तरीके पर कि काश्तकारों को भूमिधरी के प्रमाणपत्र दिये जाते हैं। जिस भूमि पर उन लोगों के मकान बने हुए हैं यदि उन पर दूसरों की भूमिधरी का प्रमाणपत्र दे दिया जाता है तो इस में उन लोगों की काफी नुकसान होगा। मैं जब अपने चुनाव क्षेत्र में जाता हू तो जो गरीब हरिजन हैं या नाम-ऐग्रिकल्चरिस्ट्स हैं वह सब यही कहते हैं कि प्राप और कुछ कराइये या न कराइये लेकिन यह बीज तो करा ही दीजिये। मैं प्राप को कुछ उदाहरण देना चाहता हू और उन के द्वारा बताना चाहता हू कि वहा पर किस तरह से होता है। एक गाव है सुल्तानपुर दबास, जिस में ७० या ८० बरस से एक व्यक्ति का कच्चा है और उस का वहा पर मकान बना हुआ है, लेकिन जो जमींदार है वह उम कच्चे को खत्म कराना

[श्री नवल प्रसाकर]

चाहता है। इसी प्रकार के भूगणपुर गांव में बंजी रहते हैं। वहां पर उन का कब्जा है, मकान बना हुआ था, वह बरसात में गिर गया। उस के बाद जमींदार ने कह कि मैं तुम को वहां मकान नहीं बनाने देता। नरेला में एक गांव में मैं गया। वहां भी वही हाल है। मैं यह चाहता हू कि इस तरह से जो हरिजनो के मकान बने हुए हैं उन के ऊपर उन का पूरा अधिकार हो जाय। आज भी हम भूमिसुधार की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हरिजनो का सवाल आता है तो उन के लिये भी ना सर छिराने की जगह हाती चाहिये। आप कुनुर गठ बाज की लीजिये। वहां पर चकबन्दी की गई। चकबन्दी के अन्दर कुम्हारो को कुछ एकड़ जमीन दी गई, लेकिन जमींदारो की नाराजी है, वह कहते हैं कि हम उन को नहीं रहने देंगे और आज भी उन को मिट्टी नहीं खोदने देते, हालांकि सरकार की तरफ से वह उन को एलाट हो गई है। आज वहां पर यह अब था हें में जाता हू कि इस बिल में इस तरह का कोई प्रबन्ध हो जाय जिस से हरिजनो को मनोप मिल सके, रहन मिल सके। वजीरपुर गांव को भी आप लीजिये। एक जमींदार ने यहां तक किया कि कस्टोडियन का जमीन बेच कर पैसा हाथिया लिया। यह हालत है, यहां के जमींदारो की और अब कस्टोडियन की तरफ से जिन लोगो ने मकान बनाने के लिये जमीन खरीदी थी उन के नाम नोटिस आ रहे हैं।

भलसवा गांव में जिन का जिन नाम जहागीरपुर भी है एक कादतबाग का भूमिधर बना दिया। यह माल अफमगे की मैं आप को बताता हू कि उन को भूमिधर बना दिया। वह बेचाग काशन करता है और जब उस की पूंगे फमल आ जाती है तो जमींदार काट कर के ले जाता है। वह रोता रह जाता है। सिर पीट कर वहां बैठ जाता है, पुलिस में जाता है, तो उस से कह दिया जाता है कि जमीन का मामला है हम नहीं सुनें।

इस को रेवेन्यू कलेक्टर सुनें, माल अफसर सुनें। माल अफसर के पास वह जाता है तो वह कहते हैं कि दीवानी में बाबा दायर करो और दीवानी वाले कहते हैं कि टिकट लगा कर दो कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। मैं चाहता हू कि यहां इस पार्लियामेंट से माननीय मंत्री कोई स्पष्ट निर्देश दें कि ऐसे मामलात के अन्दर क्या करे, नहीं तो यह बिल जोकि कल अधिनियम बनेगा उम में काश्तकारो की यही हालत होगी।

मैं देखता हू कि माल अफसरान के खिलाफ जो प्राये दिन शिकायतें आती हैं और जिन का कि कोई हिसाब नहीं और उन के कायम रहते आप भले ही यहां पर कितने ही अच्छे शब्दों में इस विधेयक को पास करिये उस से कुछ बनेगा नहीं क्योंकि जब यह कार्य रूप में परिणत होने के लिये जायगा तो किसान की जो व्यवस्था होगी वह आप स्वयं समझ सकते हैं। वह हमेशा माल अफसर के वहां खड़ा रहेगा और उस अवस्था में वह क्या वाज्ज कर पायेगा? मैं चाहता हू कि इस तरीके का एक बिलकुल स्पष्ट निर्देश हो ताकि उन का पुलिस में पनाह मिल सके। अगर कोई जमींदार किसी काश्तकार के खिलाफ ज्यादानी करता है तो उन को माल अफसर के वहां पर पनाह मिल सके लेकिन माल अफसर की तो यह बात है कि अगर वहां कोई नकल लेने के लिये जावे तो उसे महीना जग जाना है। और लोगो का यह कहना है कि जब तक उन की कुछ पूजा न की जाय तब तक कोई नवल बगैरह नहीं मिलती है। अब चूकि दिल्ली का प्रशासन मीधे केन्द्र के मानहल है इसलिए मैं चाहता हू कि मंत्री महोदय इस धोर ध्यान दे और जब तक वे इस ध्यान नहीं देगे तब तक हम चाहे कितने ही बिन बना कर क्यों न रख दें, गांव के लोगो को उम में मनोप नहीं होगा। हम भले ही यहां पर बैठ कर के मनोप कर ने, गृह मंत्री महोदय को बन्यवाद दे दें और कह दें कि यह बिल बहुत अच्छा

है और मैं भी मानता हूँ कि आप की सम्भावना अच्छी है, भावना और जो उस की भाषा है वह सब अच्छी है लेकिन वास्तव में यह अच्छा तो सब ही सिद्ध होगा जब यह कार्य रूप में परिणत हो और गांव के किसान भी यह बहूँ कि वाकई इस बिल के अन्तर्गत से उनकी परेशानी कम हो गई है और उनकी इतर-उधर चूमना और मारे मारे फिरना नहीं पडा और बर बैठकर उनका भूमिबंदी का बहिष्कार प्राप्त हुआ गया, तभी मैं समझता कि यह बिल बिलकुल ठीक है और सही है।

श्री दौलता जोकि इस समय सदन से कहीं बाहर चले गये हैं उन्होंने अपने आपण में एक बात कही जोकि मुझे बड़ी विचित्र लगी। मुझे मालूम है कि वह अपने आप को साम्यवादी कहते हैं लेकिन उन्होंने यह कहा कि जो जमीन है उस का मुनामिब मुद्राविजा मिलना चाहिये, वह मुझे अजीब लगी। मैं ने जब रूम का मविधान पढा तो मैं ने देखा कि उन के वहा पर तो किसी भूमि का मुद्राविजा दिया जाता है, ऐसा कही लिखा हुआ नही देखा लेकिन आज मेरे वह कम्युनिस्ट भाई यह कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि उस जमीनदार की जमीन जोकि बजर पडी हुई थी और जो किसी काम में नहीं आती थी और जो गांव सभा में चर्चा जा रही उस का अधिक से अधिक मुद्राविजा मिलना चाहिये। चीज यह है कि जब आदमी के जाने उगार असर पडना है और भूतबाल में उन का उस क्लाम से सम्बन्ध रहा है, तो वे उस समय अपने मिडान्तो को और अपनी नीति को भूल जाता है। अमल में आदमी जिस परिवार में पैदा होता है उस की बात ही उस के सामने रहनी है। लेकिन चूकि वह साम्यवादी होने का दावा करते हैं इसलिए मैं उन से यह कभी आशा नहीं करता था कि वे यह कहेंगे कि उन्हें मुद्राविजा मिलना चाहिये।

एक जमीनदार हैं जिस के कि पास बहुत काही जमीन है। बहुत दिनों तक उस ने उस

पर काबत नहीं की और उस को काम में नहीं लाया। अब यदि उस जमीन को गांव सभा में डाला जाता है और गांव सभा में डाल कर के अगर उस की काबत करा ली जाती है, तो उस के लिये यह कहना कि अधिक मुद्राविजा मिलना चाहिये, बडा विचित्र लगता है। मैं आप को बताऊ कि दिल्ली के अन्दर १,२४,४८८ एकड़ भूमि बजर पडी हुई है और यदि उस बजर पडी जमीन को हरिजनो को दे दिया जाय तो बहुत सारे हरिजन परिवार पल सकते हैं। खेतिहर मजदूर जोकि खेत पर काम करने हैं उन का थोड़ा बडा जमीन दे दी जाय तो बहुत सारे परिवार पल सकते हैं। उन को आप व्यक्ति न रूप में मत दीजिये। अभी न सपुर काग्रैम मेशान में भूमि सुधार और कृषि मगठन सम्बन्धी जो प्रस्ताव पाम हुआ है मैं उस के कुछ अंशो को यहा पढ कर सुनाना चाहता हूँ। उस में कहा गया है

भूमि सुधार के बारे में प्रतिश्चिन्तना दूर करने और किसान की शरणी में पाय-दारी कायम करने की दृष्टि में, आज की और बाद की भी जानो की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिये और इस के लिये और साथ ही मध्यवर्तियो का उन्मूलन करने के लिये सभी राज्यो द्वारा १९५९ के अन्त तक कानन बनाने का काम पूरा कर दिया जाना चाहिये इस का मतलब यह नहीं है कि आसदनी की को-सीमा बाध दी जायगी क्योंकि उम्मीद यह की जाती है कि मयन खेती और प्रतिश्चित धनो की वजह से गांव की आसदनी में सुदृढ हागी। इस की प्रतिश्चित भूमि पर पचायतो का अधिकार होना चाहिये और उन का प्रबन्ध अमनोन खेतिहरो की सहकारिता समितियो के हाथ में रहना चाहिये।

इसी तरह मे आगे इस प्रस्ताव में यह कहा गया है

[बी नवल प्रस्ताव]

‘खेती के लायक जो जमीन खाली पड़ी हुई है उस पर और ऊपर जमीन पर खेती के लिये हर तरह की कोशिश की जानी चाहिये। इस तरह की जमीन का उपयोग करने की दृष्टि से उचित कदम उठाने के लिये केन्द्रीय सरकार को एक समिति नियुक्त करनी चाहिये।’

यह एक वास्तविकता है जो कि मैं ने भ्राप के सामने रखी। श्री राधा रमण ने एक सशोधन रक्खा है जिस के कि द्वारा वे यह चाहते हैं कि सन् १९५४ और १९५६ के बीच में जिनको ने भूमि बेच दी है और उन को कुछ राहत दी गई है, छूट दे दी गई है वह बनी रहने दी जाय। मैं इस के हक में नहीं हूँ और इसलिए हक में नहीं हूँ कि १९५४ में जब दिल्ली विधान सभा ने विधेयक पास किया उस अवस्था में जिन गावों को भूमिधारी बनना चाहिये था उन को वास्तव में भूमिधारी बनना चाहिये किन्तु कुछ जमींदार लोग जोकि शहर में बैठे हुए हैं और जैमेकि श्री नायर ने कहा जिन को कि गाव सन् १८५७ में ब्रिटेन सरकार द्वारा बलशिक्षा में मिले थे उन्होने जब यह देखा कि सन् १९५४ के इस विधेयक में यह अधिकार दे दिया गया है तो उन्होने अपनी जमीनों को बेचना शुरू कर दिया लेकिन होना यह चाहिये था कि वे १५ गांव ही जाँचि सन् १९५४ के ऐक्ट के मातहत आते थे उनका ही भूमिधारी होना चाहिये था। सन् १९५४ के ऐक्ट के मातहत जितनी भूमि उन को प्राप्त होनी चाहिये थी उस का भी पूरा पूरा हक उन को मिलना चाहिये। अगर १९५४ और ५६ के बीच में किसी जमींदार ने जमीन बेच कर मुनाफाखोरी की है या मुनाफा कमाया है तो उस का मतलब यह हुआ कि उस भूमिधर या उस काश्तकार को या किसान को जिस को कि स्पष्ट रूप से लाभ होने वाला था, उसे लाभ से वंचित कर दिया गया। मैं चाहता हूँ कि सन् १९५४-५६ के बीच में कितने भी ऐसे जमींदारों ने प्लाट्स

की शर्त में या दूसरी शर्तों में अपनी जमीनों को बेच दिया है और इस तरह जो मुनाफाखोरी की है उस मुनाफाखोरी को रोकने का कोई इन्तजाम होना चाहिये और उस पैसों को मुआविले की शर्त में काश्तकार को या उस किसान को जिस का कि उस पर कब्जा था, पूरी तौर पर उसे मिलना चाहिये। यदि वह जमीन बजर थी, तो उस का सारा पैसा उस गाव को मिलना चाहिये, क्योंकि वह सारी जमीन उस गाव की होने वाली थी। किन्तु जब १९५४ का अधिनियम बना, तो वे उस को कोर्ट में ले गये। उस में दो साल लग गये। १९५६ में एक नया सशोधन पास करा लिया। ऐसी हालत में उन को तो लाभ हुआ, और आज हम भी उन को लाभ दे रहे हैं कि अगर उन्होंने जमीन बेची है, उस जमीन के टुकड़े कर दिये हैं, तो वह लाभ उन की जेब में आये। यह कोई न्याय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जिस का हक था, जिस का अधिकार था, वह उस को मिलना चाहिये। भ्राप जरा कल्पना कीजिये कि जो काश्तकार पहले वहाँ भूमिधर बनता और उस को लाभ प्राप्त होता, वह अब क्या करेगा। गाव में शहर में भा कर मजदूरी करने के अतिरिक्त उस के पास कोई उपाय नहीं है। श्री दीलता ने कहा कि आज जहाँ पालियामेंट हाउस बना हुआ है, वहाँ कभी किसान लोग थे। उस व्यक्ति का ब्यास कीजिये, जिस की भूमि थी। उस को प्लाट बना कर बेच दिया जमींदार को तो मुनाफा मिल गया, लेकिन किसान को क्या मिला? किसान को भी कुछ मिलना चाहिये। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वह इस विधेयक में इस तरह का कोई प्रबन्ध अवश्य करे।

15 hrs

अन्त में मैं एक बात और कह कर बैठ जाना चाहता हूँ। वह यह है कि जब हम एक समाजवादी समाज की रचना करने का

रहे हैं, तो गाँवों को उन हरिजनों को भी हमें नहीं भूलना है, जिन के पास आज जमीन नहीं है। आज दिल्ली के देहात में किसी हरिजन के पास भूमि नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भूमि अधिनियम में जिन आठ प्रकार के लोगों को भ्रमण करार दिया गया है—जिन में नाबालिग, भ्रमण वगैरह हैं—उन को लाभ पहुँचाने को कोई व्यवस्था की जानी चाहिये। लेकिन उन की भूमि उन की मरजी पर न छोड़ी जाये। मेरी प्रार्थना है कि उन खेतिहर मजदूरों की सहकारी समिति बनाई जाये और वह भूमि उस को दे दी जाये। आज जो बड़ी अधिक भूमि ऊसर पड़ी हुई है, उस को भी सहकारी समितियों को दे देना चाहिये। उस से हमारे दिल्ली के देहात में रहने वाले नान-पेशीकल्चरिस्ट मजदूरों को लाभ मिलेगा।

मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी मेरे इन सुझावों पर ध्यान देंगे और इन को कार्यान्वित करेंगे।

श्री यादव (बाराबकी) उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक मित्र ने एक कविता के साथ अपना भाषण शुरू किया था मुझे भी एक शेर याद आ गया है। वह यह है

बहुत गोर सुनने थे पहलू में दिन का,

जो चीरा तो एक कतरा खून का निकला।

इस वाद विवाद में अभयकरनगर की भी चर्चा हुई, जहाँ कि अभी कांग्रेस का इजलाम हुआ था। उस की चर्चा इस रूप में की गई कि सत्तारूढ दल कांग्रेस पार्टी अब भूमि-मुधारों के सम्बन्ध में कोई इतना बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाने जा रही है, जिस से सही मायने में देश के छोटे किसानों का हित-साधन होगा लेकिन इस विषयक में मैं पाता हूँ कि हरिजनों और किसानों को छोटी मांटी सुविधा देने के अतिरिक्त कोई ऐसा प्रामूल परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, जिस से खेती के सिलसिले में देश कोई एक क्रान्तिकारी दिशा मिलती हो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अब तक जिन

लोगों को—विशेष कर उस घोर बैठने वाले सबस्यो को, जिन में बहुत से हरिजन और किसानों के हित की बात करते हैं, इस विषय में कोई भ्रम रहा होगा, वह भ्रम अब उन के दिमागों से दूर हो जाना चाहिये और उन को ज्ञात हो जाना चाहिये कि जो प्रस्ताव पास किया गया है—जिस की रूप रेखा आज हम इस सदन में देख रहे हैं—वह चुनाव में गरीब लोगों के मत लेने की कोशिश है वह एक अभिनय मात्र है। धारा १२(ए) में खुदकास्त की डेफिनीशन दी गई है, जो कि इस प्रकार है—

12(A) "Khudkasht" means land (other than Sir) cultivated by a proprietor either by himself or by servants or by hired labour

अर्थात् जो लोग स्वयं खेती करते हो, चाहे अपने नौकरों या किराये के मजदूरों से खेती करवाते हो, वे खुद कास्त करने वाले लोग समझ जायेंगे और इसी के अनुसार उन को भूमिषर भी बना दिया जायेगा। अगर हम इस डेफिनीशन पर नजर डालें, तो मालूम होगा कि मंत्री महोदय ने खुदकास्त शब्दों को एक नये मायने पहनाये हैं। खुदकास्त का मतलब है कि जो स्वयं खेती करे—इस का मतलब यह नहीं है कि चाहे किसी दूसरे से खेती करवाई जाये। होना तो यह चाहिये कि भूमि का मालिक वही हो, जो वास्तव में स्वयं खेती करे और अपने हाथों से धरती को चीरे काटे, लेकिन अगर भूमि का मालिक वह व्यक्ति भी हो सकेगा जो स्वयं खेती न करता हो, दूसरों से करवाता हो, या शायद दूसरे ही करते हो और उस को लगान देते हो, और खसरा स्वतन्त्री में उस का नाम दर्ज हो और इस प्रकार वह भूस्वामी बना रहे, तो फिर किसानों को क्या लाभ होने वाला है? दिल्ली की तो विचित्र दशा है। यह तो हम देश में एक प्रकार से एक विदेशी टापू है यह कानून अंग्रेजी भाषा में बनने वाला है। हरिजन लोग सब से पिछड़े हुए होते हैं। उन को तो हिन्दी या उर्दू भी नहीं आती,

[श्री यादव]

परन्तु उन के लिये यह कानून अंग्रेजी में बनाया जा रहा है और इस से भी उन के लिये जो व्यवस्था की जा रही है, उस से उन को फायदे के बजाय नुकसान ही होगा। हम ने सोचा था कि अभयंकरनगर कांग्रेस के बाद इस सिद्धान्त पर अमल किया जायेगा कि भूमि का मालिक वही होगा, जो स्वयं खेती करेगा और जो नहीं करेगा, उस को भूमि नहीं मिलेगी और इस तरह इस देश के गरीब किसानों को लाभ पहुंचेगा, लेकिन आज उन आणामों पर तुषारापात हुआ है। इस धारा के अनुसार दिल्ली में खुदकाशत करने वाले वे लोग हैं, जिन के पास सैंकड़ों एकड़ भूमि है और उस के अतिरिक्त आजीविका के अन्य साधन भी उन के पास मौजूद हैं। सरकार उन से कुछ लेने के बजाय इस कानून के द्वारा उन की स्थिति और मजबूत करने जा रही है।

हम एक भूमिसुधार तजुर्बा कर रहे हैं, और तुम पांच दस साल और इंतजार करो और उस के बाद बहुत मुनाफा मिलेगा, बहुत मोज कर सकोगे। राधा रमण जी के संशोधन का भी यहां जिक्र किया गया है। मैं नहीं चाहता था कि उस का मैं जिक्र करूँ। लेकिन अभी हमारे एक मित्र ने सन् ५७ का जिक्र कर दिया और हमारे दौलताना साहब ने भी जो कुछ कहा उस से कुछ थोड़ी सी जानकारी मुझे हो गई। मैं नहीं जानता था कि दौलताना साहब . . .

उपाध्यक्ष महोदय दौलताना साहब तो पश्चिमी पंजाब में रह गये। यह तो दौलता साहब हैं।

श्री यादव इस के लिये मैं आप का धन्यवाद करता हूँ। राधा रमण साहब ने जो अमेंडमेंट दी है, उस से मुझे उस के साथ शिकायत थोड़ी है। मैं तो देखता हूँ कि हमारे नेहरू जी के मंत्रिमंडल में आज भी ५७ के

गृह मंत्रालय हैं और आज भी अपना सिर ऊंचा किये हुए हैं। आज भी सुरैया गृह फेस्टीवो कि सरकार नगर, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में है, किसानों पर गन्ना न देने की वजह से गोली बरसाई गई है और दो आदमियों को जान से मार डाला गया है। आज भी सन् ५७ के गृह मंत्रालय हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर आप कांग्रेस के अन्दर . . .

श्री राधा रमण . मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूँ कि जिन्होंने जमीन खरीदी थी वे लोग सन् ५७ में जिन्दा भी नहीं थे और उन के परिवार भी नहीं थे।

उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य अपने ऊपर थोड़ी सी रोक लगावे और कोई ऐसी बात न कहे जो नहीं कहनी चाहिये।

श्री यादव उपाध्यक्ष महोदय जो मैं कह रहा हूँ यह एक अमलियत है।

उपाध्यक्ष महोदय कोई कोई असली बात भी ऐसी होती है जो कि नहीं कही जानी चाहिये।

श्री यादव उपाध्यक्ष महोदय मैं आप की बात मानता हूँ।

हमारे बजुगं पंडित पत ने कहा है कि ३० एकड़ की एक सीमा निर्धारित की गई है इस सीमा की बात की कसई भी अर्थ नहीं खोलू तो आप की आखें खुल जायेंगी। तीस एकड़ की सीमा का मतलब यह है कि कोई भी भूस्वामी तीस एकड़ से अधिक जो भी उस के पास जमीन है उस को बेच सकता है और यह नागपुर प्रस्ताव का यकीनी तौर पर असली मतलब निकलता है। मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट सचमच सीरियस होती तो दिल्ली भूमि सुधार जैसे छोटे से विधेयक में यह कह सकती थी कि अधिक से अधिक जोल की सीमा क्या होगी और कम से

कम जोत की सीमा क्या होगी। यह न कर के कानून में यह व्यवस्था कर दी गई है कि तीस एकड़ से अधिक जमीन को वह बच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। इस का साफ अर्थ यह है कि अगर किसी के पास १५०० एकड़ भूमि है तो जो अतिरिक्त भूमि है वह उस से नहीं छीन ली जायेगी लेकिन इस का अर्थ यह है कि जो फालतू जमीन है उस को वह मनमाने ढंग से जब कभी भी चाहे और जिस किसी के हाथ में भी बेचना चाहे और जितनी कीमत पर भी बेचना चाहे वह बेच सकता है। अगर सरकार थोड़ा भी चाहती होती कि किसानों को फायदा हो तो वह वैसा भी कर सकती थी। उस ने इस भूमिसुधार कानून में निम्नतम और अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित न कर और उस सीमा से अधिक जमीन अपने हाथ में ले कर और उस को कम से कम हरिजनों और खेतिहर मजदूरों में बांटने की बात कर, इस कानून को अभिनय मात्र बना दिया है और इस कानून को निरर्थक सा बना दिया है। इस में कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है।

जिन के पास तीस एकड़ से अधिक भूमि होगी वे भूस्वामी अपनी जमीन को किस के पास बेचेगा। क्या वे उस को हरिजनों के हाथ बेचेगे या दूसरे खेतिहर मजदूरों के हाथ बेचेंगे? दिल्ली में जहां भूमि की कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं कौन हरिजन है जो उन को खरीद सकेगा? कौन किसान है जो खरीद सकने की ताकत रखता है? जमीन किस के पास रहनी चाहिये, इस का फैसला किया जाना चाहिये था। मैं आप को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यहां पर ५० पी० के कानून की बड़ी चर्चा की गई है और कहा गया है कि यह कानून ५० पी० के माडल पर तैयार किया गया है। मैं समझता हूँ कि चूंकि यह बिल ५० पी० के माडल पर बनाया गया है, इसलिये यह और भी सराब है क्योंकि मेरे विचार में ५० पी० का कानून भी कोई बढिया कानून नहीं है। आज हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में आज यह हो रहा है कि इन्हीं

कानूनों का सहारा ले कर कुछ लोगों की रोटी और रोजी उन से छीनी जा रही है और दूसरी ओर उत्पादन के साधन कल कारखानों की शक्ति में पूंजीपतियों के हाथ में एकत्र होने जा रहे हैं। इसी तरह से भूमि के सम्बन्ध में बनाये गये कानूनों का फायदा उठा कर यहां के लक्षपति और करोड़पति जा जा कर जमीनों पर भी कब्जा करने जा रहे हैं। बिजनौर की ही मैं बान करता हूँ। वहां पर बिडला साहब ने कम से कम १०,००० एकड़ का फार्म बना लिया है। इस तरह में आज भूमि भी बड़े बड़े लोगों के हाथों में चली जा रही है जिस का नतीजा यह होगा कि जो हरिजन और काश्तकार हैं वे मजदूरी ही करेंगे और उन को रोजी और रोटी नहीं मिल पायेगी।

इसलिये अगर आप समझना की बान करने है, भूमिसुधारों के कानूनों की बान करने है, हरिजनों की बान करने है तो कानून में आप को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि छोटी से छोटी जोत की सीमा क्या होगी, इस को साफ कर सकने थे। यह बिल्कुल आसान बात है। बिना किसी कठिनाई के आप यह कर सकते थे। आप यह कर सकते थे कि एक खानदान में जिस में स्त्री पुरुष और तीन बच्चे हो और व अपने ही परिश्रम से बिना मशीन का सहारा लिये जितनी खेती कर सकने हैं उस में तीन गुना से अधिक उन के पास भूमि नहीं होनी चाहिये। अगर उस में अधिक भूमि हो तो वह पहले हरिजनों में और उस के बाद दूसरे खेत मजदूरों में और जो भलाभकर जोन वाले हैं उन के हाथ में जानी चाहिये। अगर ऐसा किया गया होता तभी जा कर खेती के कानून का कोई अर्थ होता। लेकिन मौजूदा विधेयक में कोई खास लाभ होने नहीं जा रहा है। इस का फल यही होगा कि लोक सभा के बने हुए कानूनों में एक और कानून का इजाफा हा जायेगा कुछ हरिजन लोगों की जेबों में कुछ गरीब लोगों की जेबों में पंसा वकील लोगों के पास चला जायेगा और वे बेचार अदालतों के चक्कर में पड़ जायेंगे। इस लाभ

[श्री थापक]

के अतिरिक्त और कोई लाभ इस से नहीं होने वाला है ।

कम्पेन्सेशन के बारे में महा एक बात कही गई है । इस का मैं विरोधी हूँ और मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब किसी किसान की भूमि किसी भी कारण से इस्बायर होती है तो उस को कम्पेन्सेशन उसी सूरत में मिले जब उस के पास कोई दूसरा गुजारे का जरिया हो और अगर गुजारे का कोई दूसरा जरिया न हो तो सरकार को चाहिये कि उस की रोटी रोजी की व्यवस्था करे, उस को किसी काम पर लगावे जिस से उस की रोटी रोजी चल सके ।

अब मैं बजर भूमि के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ । बजर भूमि के बारे में जो भूमिस्वामियों को मुघावजे की बात कही गई है मैं इस का विरोधी हूँ, उन को मुघावजा नहीं मिलना चाहिये । वह भूमि ग्राम समाप्तो मैं या पचायतो में तो प्रवश्य जाये लेकिन सरकार इसी के साथ साथ यह भी व्यवस्था करे कि उस भूमि पर सहकारी खेती होगी और उम सहकारी खेती का फायदा केवल हरिजन और जो खेत मजदूर लोग होंग उन्ही को मिलेगा । और ऐसा किया गया तो कुछ लोगो की बेकारी दूर होगी और कुछ हद तक बेरोजगारी भी दूर होगी ।

एक माननीय सदस्य न कहा कि गरीब हरिजनो को नकलें नहीं मिलती हैं, कागजात नहीं मिलते हैं । इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ । मैं चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय इस बिल में यह व्यवस्था प्रवश्य करे कि क्लेसपाल या पटवारी जो कि बहा पर खमीन के कागजात में सम्बन्धित अधिकारी हो उस के लिये यह जरूरी हो जाय कि जितने भी किसान हैं और जो खेती करते हैं उन सब को खसरा और खतौनी की नकल अनिवार्य रूप से हर साल के बाद दे दी जाय करे ।

अगर यह व्यवस्था ही जाय तो बहुत अंश में गरीब किसानो को लाभ हो सकता है ।

इन शब्दो के साथ मैं अन्त में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो मीजूदा विधेयक है इस में न तो कोई विशेष बात है और न ही कोई अन्तिकारी सुझाव है और न ही इस से कोई बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है । हां थोडा सा लाभ एक छाटे से वर्ग को प्रवश्य होने वाला है और जहा पर लाभ की बात आती है इस का मैं सदैव स्वागत करता हूँ और अब भी करता हूँ, इस में विरोध होना भी नहीं चाहिये । लेकिन इस के साथ ही साथ मैं इतना निवेदन प्रवश्य करना चाहता हूँ कि अगर अन्धकार-नगर के प्रस्ताव की धोर ध्यान प्राप्त हैं तो भूमि सुधार सम्बन्धी इस विधेयक के बारे में मैं ने जो सुझाव दिये हैं, उन की धोर प्राप्त का ध्यान प्रवश्य जाना चाहिये और उन को सदैव प्राप्त का दृष्टि में रखना चाहिये ।

Shri Ajit Singh Sarhadi. Mr Deputy Speaker, Sir, the issue is very simple in this Bill. The chief objective of the Bill is to give equal portion to the tillers of the soil in 15 villages which were excluded from the purview of the Delhi Land Reforms Act, 1954. I do not think there is any objection to the basic principle that underlies the Bill. Certainly, the discrimination that was brought in at one time was improper and that discrimination should now be removed. But the provisions of the Bill should be seen in the light of the exigencies of the situation and the circumstances of the time.

There are two aspects of the Bill which should be taken into consideration. The first aspect is this how it would affect the development of Delhi as a cosmopolitan city. I do say, and I agree with my hon friends Shri Daulta and others who have preceded me, that not only due compensation but much more compensation should be given to the persons who are ousted from their holdings.

15.30 hrs.

[SHRI BARMAN in the Chair]

Those people alone should be given compensation who are entitled to it; there is no difference of opinion about that.

The House will appreciate that with the developing economy in the country, there is bound to be more of urbanisation and Delhi is bound to expand tremendously. It is not only an economic problem, but it is a huge problem. I believed that the provisions of the Delhi Land Reforms Act, 1954, were yet not made applicable to certain villages simply because of the possibility of the expansion of Delhi. If the Government wants to withdraw that, I have the least objection. I can understand if the Government had placed certain scheme before us as to how the development of Delhi would take place, how the slums are going to be removed, how this congestion of Delhi is going to be eliminated, etc.

Shri C. K. Nair: That can be done irrespective of land reforms and it is being done.

Shri Ajit Singh Sarhadi: If you see the history of the capitals of the different countries of the world, you will find there has been a tremendous increase in population and there is every possibility of Delhi expanding. That is one of the aspects which we have got to see while discussing the provisions of this Bill. I agree with my hon friend who has just said that the Government is doing something. I am not joining issue on that, but there is another aspect to which I would draw the attention of the hon Minister.

You are well aware that before the enactment of the Delhi Land Reforms Act, 1954, there was a tremendous influx of refugee population to Delhi. There was also a large section of poor people who were not able to purchase plots in Delhi because of the high prices. They spread themselves outside and made purchases of small

plots. I am not aware whether it was a company or an individual, but certainly there was somebody who purchased 260 bighas of land near about Gandhinagar and other places and the plots were sold to different refugees who were very keen to purchase such small plots outside Delhi for the purpose of building small residential houses. Those purchases were made at a time when the Delhi Land Reforms Act, 1954 did not exist.

I am glad that the Bill gives protection to *bona fide* purchasers, but I would agree with my friend Shri Radha Raman, that this protection should be given to all those *bona fide* purchasers and there should not be a specific period. Shri Radha Raman's amendment says "upto the 27th October, 1956". I would go even further and say, upto 1958, when the purchases have been made *bona fide*. I would submit for the consideration of the House that they are entitled to protection, but in many cases, such protection has not been given.

I am told that about 875 bighas of land out of this have already been vested in *Gaon Sabhas* on the plea that there was no transfer of possession. I am told that this transfer of possession did not take place because of certain manoeuvring at the lower level in the revenue department. This is a matter to which I draw the attention of the hon Minister and submit that this discrimination should be removed. He should look into this matter carefully, find out why possession was not given in respect of these plots of land and remove this discrimination.

I submit for the consideration of the hon Minister that there are still a large number of refugees—nearly 5 000 families—who have made purchases of certain plots. Even after taking into consideration the protection given under the present Bill there will remain scattered patches of land in respect of which possession has not been taken over. Those purchases were not for agricultural pur-

[Shri Ajit Singh Sarhadi]

poses. They were mainly for building houses. It is very difficult for the people in those colonies to build houses, because there are no amenities and there is no provision for development, the area not being consolidated. I am not sure how far the provisions we have got in the Bill would meet the situation. I hope the hon Minister will think about it. Some provision should be made to give protection to those refugees who have got small patches of land purchased *bona fide*. Some of them have already built houses and some intend to do so. So, somehow they should be made into a consolidated whole through co-operative societies or some other organisation, so that they may be able to provide amenities like roads, etc. This is a live problem and this will also help to some extent, if not to a large extent, in the elimination of over-crowding in Delhi.

I do not in any way oppose the provisions of the Bill; rather I support the principles of the Bill. But I submit that those people who have purchased lands before 1957 or 1958 *bona fide* for the purpose of residence should be given due protection. There should also be provision for making these small plots into a consolidated whole, so that they may be able to have development schemes.

श्री राधा रत्न : सभापति महोदय जो संशोधन विधेयक इस मदन के मामले इस समय है, उस के बारे में यहाँ पर काफी मुश्ता चीनी हुई है। वैसे तो सभी वक्ताओं ने इस का स्वागत किया है और इसे ममता है कि यह हमारे उन बहुत से ग्रामीणों के लिये फायदेमन्द होगा जिन के लिये यह बना है। हमारी बहस में बहुत सी बातें ऐसी कही गयीं जो कि इस बिल से बहुत ताल्लुक नहीं रखती। मैं बड़ी पारलसी की बातें हैं और उन को हम एक बार नहीं हवार बार दोहरा चुके हैं। इसलिये मैं उन बातों की बहस में नहीं जाना चाहता जो कि यहाँ रक्की गई हैं।

और इस विधेयक से जिन का सम्बन्ध नहीं है। मैं सिर्फ उन दो बार बातों का जबाब देना चाहता हूँ जो कि मेरे संशोधन से ताल्लुक रखती हैं। मैं यह मानता हूँ कि आज देहात के लोगों को बहुत काफी तकलीफ है। मगर यह भी कहूंगा कि आज देहात वालों को ही तकलीफ है, शहर वालों को नहीं है, या गरीबी देहात में ही बसती है, शहर में गरीबी नहीं है, इस तरह से किसी चीज को देखने से हम इन्साफ की नजर से उस चीज को नहीं देख सकते। साथ में यह भी है कि यहाँ पर कोई बात कही जाये बिना सोचे ममता यह भी ठीक नहीं है। बिना तराजू पर तोले हुए किसी को लाला कह दिया जाय, किसी को चौधरी कह दिया जाय, किसी को पूजीपति कह दिया जाय या किसी को कह दिया जाय कि कगाल है, तो यह सब बातें बेकार की हैं। हम इस मदन में बैठते हैं कुछ अपने दिमाग को खोलने के लिये, कुछ जानने के लिये और जो सही बात हो उस को कहने के लिये वह किसी के जरिये कही जाय, मगर वह इन्साफ की तराजू पर, हक की तराजू पर सही लगती हो तो उसे मान लिया जाना चाहिये। किसी पर धासेप करने से हम सब लोग इन्साफ में दूर जाते हैं पाम नहीं आने।

सब से पहले मैं कहना हूँ कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। मैं एक समझे के लिये भी यह मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि आज जो गाँव वाले अपनी किसी जमीन पर खेती करते हैं और अपनी मेहनत और मशकत से उस जमीन को पालते और पोसते हैं, कोई भी कानून उन को उस जमीन का मानिक बनने में रोके।

हमने इसे धसलन तय किया है और इसके मुताबिक हम धमल करते चले जाते हैं। हमारा दिल्ली सैण्ड रिफार्म्स बिल जो कि प्रिंसिपल बिल है वह इसी धाधय के मासहत विधान सभा में पास हुआ और उसका हम

जमीनें स्थापित किया। सन् १९५६ में जो एक संशोधन इसके मुताबिक लाया गया उसके बारे में भी हमारे मंत्री महोदय ने बड़ी सफाई के साथ बताया है कि जब वह प्रिंसिपल विधे-
 बक पास हुआ था तो उस वक्त इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की कुछ जमीनें थीं, उन जमीनों का हालांकि अभी बारा-ब्यारा नहीं हुआ था लेकिन नोटीफिकेशन था और जब तमाम शहर के आसपास की जमीनों को जो किसी भी लोकल बोर्ड के मातहत आती थी, उस विधेयक में छूट दी गई थी तो कोई बजह नहीं थी कि इन जमीनों को जो कि नोटिफाइड थी या जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की थी उनको न बचाया जाता। वह एक Distinction नजर आता था और वह संशोधन के रूप में आया और विधान सभा ने उसे पास किया। लेकिन उसके बाद देखा गया कि उन जमीनों पर जो कि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीनें थी, देहाती भाइयों को तकलीफ थी और नुकसान होता था। ऐसे देहाती भाई जो उन पर काबू करते थे और मेहनत और मशकत करके अपनी आजीविका को चलाते थे उनको दिक्कत महसूस होती थी। कुछ मित्रों के उधर ध्यान दिवाने पर हमारे गृह मंत्री ने उन पर गम्भीर विचार किया और वह यह मुनासिब समझा कि अगर इन १५ गावों को वापस उम्मी शक्ल में ले जाया जाय जो सन् १९५४ के विधेयक के मुताबिक हो तो बहुत से देहाती भाइयों को कुछ धाराम और राहत मिलेगी। बात बहुत मुनासिब थी और इसको हमने स्वीकार किया और उस निर्णय का ही यह नतीजा है कि आज यह विधेयक गृह-मन्त्री महोदय की की तरफ से सदन के सामने विचारार्थ उप-स्थित है।

सवाल सिर्फ इतना आकर पड़ता है कि जब सन् १९५४ में एक बिल आपने पास किया उसके बाद आपने उसका संशोधन किया तो यह कह देना तो बहुत आसान बात होगी कि बहुत से लोग जो बड़े मालदार हैं, शहर के अन्दर रहते हैं, बड़ी बड़ी जमीनें खरीदते हैं और इसमें कोई धक्का भी नहीं है क्योंकि कच्ची-

कत भी यही है कि सैकड़ों कोलानाइजर्स ने आसपास की हज़ारों बीघे जमीन खरीदी है। हम बराबर इस चीज का विरोध करते चले आये हैं और हमने सरकार से कहा है कि ऐसे खरीददारों से जो कि गरीब काबतकारों और ग्रामीणों की जमीनें खरीद कर मुनाफा उठाते हैं उनको ऐसा करने से रोकना चाहिए। उसके खिलाफ कोई भी आदमी नहीं है और जाहिर है कि कोई इन्फा पसन्द आदमी हो भी नहीं सकता लेकिन जब आप उनका नाम लेकर बहुत से उन छोटे छोटे शहर में रहने वाले खरीददारों को जिनकी बाबत अभी सरदार भजीत मिह सरहदी ने जिक्र किया उनको आप उनके हक़ से डिप्राइव करना चाहते हैं तब मेरी समझ में यह एक इन्फा की बात आप नहीं करते हैं। हमको सोचना पड़ जाता है कि आया वह ठीक है या नहीं।

दिल्ली के अन्दर दिल्ली म्युनिसिपैलिटी का जो एक रकबा था या जो उसकी हद थी, वह सन् १९५२ में पहले जबकि हमारी विधान सभा नहीं बनी थी, बहुत थोड़ा रकबा था और मैं समझता हूँ कि आज जितना है उसका शायद आधा होगा। गावों में बहुत ज्यादा रकबा शामिल था लेकिन उस जमाने के अन्दर गदौनवा के अन्दर बहुत सारी म्युनिसिपल कमिटीज बनीं, करीब करीब ८, १० लोकल बोर्डिज बनीं और उन नमाम लोकल बोर्डिज के अन्दर, में २२२ वे ने म। कह सकता हूँ कि सैकड़ों ऐसे गरीब किसान मौजूद थे जो कि खेती करते थे और जो कि उस जमीन की उपज से अपनी गुज़ार करते थे और अपने बाल बच्चों को पालते थे। लेकिन जब वह लोकल बोर्डिज बनीं और जब सन् १९५४ का यह दिल्ली लैण्ड रि-आर्म एक्ट पास किया गया तो उस वक्त यह ब्याल नहीं किया गया कि उन ग्रामीणों को जमीनें दे दी जायें अथवा गाव सभा को उन वक्त यह फैसला किया कि शहर के हिस्से के अन्दर जो रकबे आ गये हो या जो लोकल बोर्डिज के मातहत आ गये हों उनके अन्दर चाहे कोई

[श्री राधा रमण]

कास्तकार मरता हो या जीता हो, भमीर हो चाहे बरीब हो, उन सब को ऐम्ब्रम्बट कर दिया जाय, यह अगर आपने उस बक्त सोचा तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौन भी चीज ऐसी भा गई जिस पर कि ऐतराज किया जाय । अगर किसी भ्रादमी ने जो उन १५ गावों के भ्रन्दर अपनी जमीन रखता है और वह कास्त को जमीन नहीं है, वह बजर जमीन है, कास्त की जमीन के बारे में इस सशोधन के भ्रन्दर कोई मकाल नहीं है क्योंकि हर एक यह मानता है कि जो व्यक्ति किसी जमीन पर कास्त करता है वह तो उसकी हो गई उस पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता और वह उसी को मिलेगी जो कि उस पर काय । करता है । सवाल सिर्फ ऐसी जमीनों का है जो कि बेस्ट लैंड करार दे दी गई है या जो बजर जमीन हैं और ऐसी जमीनों के भ्राम तीर के बहुत छोटे छोटे हिस्से चाहे किसी बड़े भ्रादमी ने करा कर लोगों को बेच दिये हैं या सीधे किसी ने खरीद लिये हैं और इस तरह की जमीनों को खरीदने वाले शहर में भी रहते हैं और गाव में भी रहते हैं, उन जमीनों के भ्रालिकों को बेदखल करके उनको ऐमी बोट लगाई जाय और भ्राज के हात्लात में जबकि दिल्ली के चारों तरफ भ्राबादी बढ़नी जा रही है शहरी और देहाती लोग भ्रापस से मिल जुल करके भ्रब एक बनते चले जा रहे हैं क्या इस भ्रेद को कायम करना मुनासिब होगा ? इस तरह की तफरीक को कायम करना मुनासिब होगा या यह कह देना मुनासिब होगा कि जिस किसी भी गरीब भ्रादमी ने और भ्रखदूर ने भ्रपना घर भ्रावाद करने के लिए अपनी गाढी कमाई में से १०० गज का एक प्लाट किसी भ्रादमी से खरीद लिया भ्राज उस जमीन को किसी को दे देना है या उसको उनके पास कायम रहने देना है उस धीके पर तमाम बड़ी बड़ी बातें यह कह कर कि देहातियों का यह नुकसान हो रहा है या देहाती भाई बड़ी तकलीफ में हैं और उनके ऊपर शहरी लोग बड़ा जुल्म डाल रहे हैं, इन

बातों से उसका क्या तात्त्विक है ? मैं भ्रापसे भ्रख करना चाहता हूँ कि इस कानून के भ्रन्दर यह बात कही गई है कि जो बोनाफाइड खरीददार है जिसने कि उस जमीन के हिस्से में से कुछ हिस्सा हासिल कर लिया और वह उस जमीन के ऊपर भ्रपना मकान बनाना चाहता है उसको उससे महकूम न किया जाय । भ्राप यह जानते हैं कि दिल्ली के जैसे हात्लात हैं उनको देखते हुए किसी भ्रादमी ने जिसने भ्राज से पन्द्रह वर्ष पहले १००, १५० गज का भ्रामूली सा प्लाट खरीदा था उसको उस पर मकान बनाना भ्राज तक नसीब नहीं हुआ और उसकी एक बजह यह भी थी कि यहा दिल्ली में पहले तो इम्ब्रूव-मेंट ट्रस्ट के रस्ट्रिक्शंस थे और उसके बाद दिल्ली डेवलपमेंट प्रोवीजनल एथारिटी बनी और उसका बनना जरूरी था और मकान बनाने की इजाजत देने के लिए से भ्राउट (lay out) प्लान और दीगर चीजों का मुकम्मिल होना था उन तमाम सवालियों को जो हुकूमत ने पैदा किये जो हुकूमत के कानूनों ने पैदा किये और उस भ्रादमी ने जिसने बद्र-किस्मती से या खुशकिस्मती से कहिये भ्राज से ५ वर्ष पहले या १० वर्ष पहले एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा शहर के भ्रामपास ले लिया और जो उस बक्त किमी म्युनिसिपैलिटी की जमीन में नहीं था तो भ्राज उसको इस कानून के जरिये राहत न दी जाय और अगर राहत दी जाय तो डिस्कमनेटरी दी जाय यानी उन लोगों को जिन्होंने कि सन् १९५५ से १९५५ में जब वह प्रमेटमेंट भ्राया में लेकर जो बकफा बीच में गुजरा, उस बक्त तक की उसको राहत दे दी जाय । लेकिन जब कानून नहीं था और लोगों के दिमागों में ऐसा कानून लाने की बात भी नहीं थी उस बक्त जो लोगों ने खरीद फरोस्त कर ली उनको उनके इसी प्रकार के हुकूम से महकूम कर दिया जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता । मेरा सशोधन विशेष करके इसी चीज से तात्त्विक रखता है । जब वह १५ गावों का सवाल भ्राया और

इस सवाल के ऊपर विधान सभा ने एक सशोधन पास किया जिसको कि आज हम उसको वापिस ले रहे हैं और उन गांव वालों को उनकी जमीनो पर मालिक बना रहे हैं तो उन लोगो को जिन्होंने कि ५ साल या उसके पहले उन जमीनो को खरीद फरोक्त किया उनको उससे भी ज्यादा सस्त पैनासिटी देने को कहा जाय या उनको उन खरीदारियो से महरूम किया जाय जो कि उन्होंने उस वक्त की थी, यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती है और यह इसाफन मुनासिब नजर नहीं आती है । जो कानून इस वक्त मौजूब था उसका अगर मौजल इटरप्रेटेशन पूछा गया तो यह मालूम हुआ कि उन खरीदारो को छूट मिलेगी या नहीं यह साफ नहीं होता । कुछ का ब्याज है कि वह डिप्राइव नहीं होंगे और कुछ का यह ब्याज था कि वह डिप्राइव हो जायेंगे और बेदखल हो जायेंगे तो यह चीज कुछ मुनासिब नहीं जचती है । जो कानून आप बनायें वह इतना साफ हा कि उसका बिल्कुल साफ मतलब निकाला जाय और इस कानून में बिल्कुल साफ तौर पर यह कह दिया जाय कि जिन जमीनो की बोनाफाइड खरीद फरोक्त २७ अगस्त १९५६ से पहले हुई है, उनको अगर वह गैर कास्त की जमीन है तो वह डिप्राइव नहीं किये जायेंगे ।

इस सशोधन के अलावा मैं चन्द बातें आप से और कहना चाहता हूँ । कम्पेन्सेशन के बारे में यहा बहुत कुछ चर्चा हुई । देहात को कम्पेन्सेशन कम मिलता है । बल्कि मैं यह कहूंगा कि सरकार शहर की जमीन के लिए जो कम्पेन्सेशन देती है, उममे भी कम उनको मिलता है । कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो कि मालदार हो और कुछ गरीब भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार अपने कायदे कानून के मुताबिक सब को कम्पेन्सेशन देती है । मैं यह बताना चाहता हूँ कि देहातियो को जो कम्पेन्सेशन मिलना है, अगर उसको चार या आठ गुना कर दिया जाय, तो मुझे कोई ऐत-साब नहीं है । हमारे बहुत से माननीय सदस्यो

को शायद यह मालूम न हो कि दिल्ली की बदकिस्मती यह रही है कि उसका जमीन का बन्दोबस्त न तो पंजाब के पैटर्न पर रहा है और न यू० पी० के पैटर्न पर । यहा इस वक्त जो बन्दोबस्त जारी है, वह सैकड़ो बरस पुराना है । दिल्ली में जमीन की कीमत लगान के मुताबिक लगाई जाती है । अगर एक हज़ार रुपए की किसी जमीन का लगान दस रुपया है, तो उस जमीन की कीमत दस रुपये मानी जाती है । इसलिए यहा पर किसी कास्तकार को जो कम्पेन्सेशन दिया जाता है, वह न के बराबर होता है, नाभिनल होता है । पहले यह इनाका यू० पी० में था । फिर इसको पंजाब में रखा गया और फिर इसकी एक अलग शकल बनाई गई । आज जो कम्पेन्सेशन देहातियो को मिलने जा रहा है, वह बहुत ही कम है । जब कभी हमने इस बारे में अफसरान से बातचीत की है, वह इस बात को मानते हैं । अगर हुकूमत इसका कुछ इन्तजाम कर सके, तो अच्छा है । मैं अपने साथियो से दरखास्त करूंगा कि वह हुकूमत पर जोर डाल कर उन लोगो को सही कम्पेन्सेशन दिलवा सकने हैं तो दिलायें अगर इन्स्टालमेंट्स चार के बजाय दो रखी जायें, तो अच्छा है । जो नाभिनल का कम्पेन्सेशन देहातियो को मिलने वाला है अगर उस को भी टुकडो में दिया, तो उनको कोई फायदा नहीं होगा । उनको सारी रकम एक वक्त पर ही और निबग्न तरीक मे दी जानी चाहिए ।

मुझे इस बात की बड़ी खशी है कि गृह मन्त्री ने चर्चा कर दी है कि इन बिल मे हमने हर जमींदार को यह छूट दे दी है कि चाहे उस के पास कितनी भी जमीन हो, वह उसको इस्तेमाल कर सकता है । यह जरूर व्यवस्था कर दी गई है कि वह आठ एकड़ से कम जमीन नहीं बेच सकता है, लेकिन अगर सौ दो सौ एकड़ जमीन है और वह खुद कास्त करता है, तो वह उसको बेच सकता है । इसम सीलिंग का जिक्र नहीं किया गया है । मैं गृह मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने

[श्री राधा रं, ब]

इस बात को सफाई से कह दिया है कि इस बिन्दु में इस नैकना को महसूस किया जाता है और वह सीलिंग के बारे में जल्द से जल्द एक बिल लाने वाले हैं। अगर वह बिल इस सेशन में ही आ जाय, तो अच्छा है। इससे बड़ी बदला-बदली होगी। जिनके पास काश्त की जमीन है, वे देखते हैं कि दिल्ली बढ़ती जा रही है और काश्त करने से उनको जो फायदा होता है, उससे कहीं ज्यादा उनको अपनी जमीन की कीमत मिलती है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस भूदमी के पास भी एकड़ जमीन है, वह किसी गरीब भूदमी से इन्डीविजुअल तौर पर छरीदो-फरोहत नहीं करता है, बल्कि उसका समान लेन देन उन लोगों के हाथ में है, जो कि कालोनाइजर कहलाते हैं। वे लोग भ्राट्र भ्राने, एक रुपया दो रुपए के हिसाब से जमीन लेकर उधर उधर करके शहर या देहात के उन लोगों को बेच देते हैं, जो कि मकान बनाना चाहते हैं। फायदा मिडलमैन को होता है लेकिन आप उन भूदमी का डिप्राइव करना चाहते हैं, जिसने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके भी गज का टुकड़ा मकान बनाने के लिए लिया है। यह इन्साफ नहीं है और इमरालिय यद्वा बिब्ले-बबल नहीं होनी चाहिए। यह सवाल उठाना ठीक नहीं है कि बेहान वालों को शहर में फायदा होना है या शहर वाले को देहात में फायदा होना है। सही बात तो यह है कि दुनिया में लेन देन होता ही है, लोग काम करते हैं और फायदा उठाते हैं। कानून उन लोगों के लिए बनता है, जो कि गलत तौर पर फायदा उठाते हैं। आज दिल्ली के चारों तरफ जो जमीन काश्त या गैर-काश्त की है, उस का प्रबन्ध कालोनाइजर लेते जा रहे हैं और लेकर छोटे छोटे भूदमियों को तकसीम करते हैं और उस की बड़ी बड़ी कोमरे वलून करते हैं। वे लगाम जरूरी इमिनिटीज भी नहीं देते हैं। बहुत से लोग अपना लेकर भाग जाते हैं। आप कालोनाइजर का नाम लेकर उस जमीन को गाव सभा में बेस्ट कर दे और ग्राम लोगों को उससे डिप्राइव

कर दें, तो यह इन्साफ की बात नहीं है। वह गैर बाजिब बात है।

जहां तक हरिजनो का ताल्लुक है, मैं कहना चाहता हूँ कि श्री कमिश्नर को इजाजत होनी चाहिये कि किसी हरिजन के मामले में वह एक से ज्यादा एकड़ जमीन को भी एग्जैम्प्ट कर सके। जिन जमीन पर कोई हरिजन बंन है, यह कानून बन जाना चाहिए कि वह उसका मानिक हो जाय। जिस तरह आप भूमिधर को जमीन देते हैं, उसी तरह हरिजन को भी जमीन दी जाये। अगर एक हरिजन पुस्तो से किसी जमीन पर बैठा है और उसने उस गाव का मैना डोया है और गन्दा काम किया है और गाव को साफ रखा है, तो वह जमीन लाजिमी तौर पर उस की हो जानी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। वहा पर जिसका सापडा है उसकी जमीन होनी चाहिए। अगर इस तरह का संशोधन पेश किया जाय, तो मैं उसकी इम्मायन करूंगा।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि कानून बनाने वक्त हमें निष्पक्षता और इन्साफ के साथ उन बातों का देखना चाहिए, जिन में उस कानून का वाग्ना हो। और चौको को लाना ठीक नहीं है। उस बिन्दु का एक स्पेसिफिक परराज है और वह यह है कि १९४७ के कानून के जरिये भी एक ही एक काश्तकार को दिया गया था वह बाकी के पन्ध्र गावों को भी दे दिया जाये। इस में किसी को दो गये नहीं हो सकती। मिफ सवाल यह है कि जब इस कानून ने इसे मुनासिब समझा है कि उस दमियान में जिन दमियान में वह संशोधन धाया और उसके बाद में अब रिपीन हो रहा है उस दमियान में जितने भी मौदे हुए हैं वे सब इस अयान में हुए हैं कि कानून उसकी इजाजत देता है, कानून उन मौदों को मजूर करता है, तो उस सम्बन्ध में अगर कोई नैकना है और

वह इस कानून के अन्दर मौजूद है तो उसको भी दूर कर देना चाहिये। जब प्राय एक खरीद को मंजूर करते हैं तो उससे पहले की खरीद को मंजूर क्यों नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ सिर्फ दो मकसद इस कानून के थे। अगर प्राय यह कहते हैं कि दो साल का हम प्रोटेक्शन दे देते हैं अगर जिसने सन् १९५० में जमीन खरीदी या उससे पहले जमीन खरीदी उसको वह हक हासिल नहीं है जो उसके बाद खरीदने वालों को है, तो मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा इसाफ प्राय करने वाले हैं और एक बहुत बड़ी गैर-इसाफी करने जा रहे हैं जोकि बिल्कुल गैर-मुनासिब भी बात है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भेरे मसौदा को जितना बजान दिया जाना चाहिये उतना बजान गृह मंत्री महोदय देंगे और जो इसाफ की बात है वह करेंगे। इस बिल का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारा यह माना हुआ उमूल है और यह उमूल बगबर कायम है बल्कि मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि हम को और तेजी के साथ इस उमूल को लागू करने के लिये प्राय बड़ना चाहिये। जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों के अन्दर गफलत का ताल्लुक है या गरीब लोगों की तकलीफात का ताल्लुक है, वह मवाल दूमरा है और उसका भी इलाज होना चाहिये और इस सम्बन्ध में भी मैं समझता हूँ कोई दो गये नहीं हो सकते हैं या कोई दो खयाल नहीं हो सकते हैं और उसका भी सुधार होना प्रावश्यक है।

Mr Chairman: Shri M C Jam. Just a word We propose to finish this Bill in the course of the day by 5 o'clock I have got here in my list two more names I will request the hon Members to be as brief as possible and not repeat the arguments which have been put forward by previous speakers

Dr. Sushila Nayar (Jhansi): I would also like to have five minutes, if I can

Mr. Chairman: Let the Members be brief.

श्री मू० चं० जैन (कैथल) जनाब चैयरमैन साहब, यह बिल जो इस वकत हाउस के सामने है और जिन के बारे में गवर्नमेंट को मुबारिकबाद दी गई है, इसको मैंने बड़े गौर के साथ और प्रच्छी तरह से पढ़ा है और इसका मुकाबिला जो दिल्ली के नजदीक पड़ोसी मूबे है और उनमें जो कानून बने हुए हैं, उनसे किया जाये, तो मैं समझता हूँ कि इस बिल को लाने के लिए गवर्नमेंट मुबारिकबाद की मुत्तहिक नहीं है।

श्री अजराल सिंह (फिरोजाबाद) .
कभी भी नहीं होगी है।

श्री मू० चं० जैन : अगर यह कहा जाय कि सन् १९५६ में दिल्ली ग्रामिणों ने १५ गावों को पुराने बिल के दायरे में बाहर निकाल कर ज्यादाती की और उनको दिल्ली लैंड रिफार्मिंग एक्ट १९५४ के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये या तो यह ठीक ही होगा। अगर यह हाँ ब्राय कि उन १५ गावों को गवर्नमेंट फिर से कानून का फायदा पहुंचाने जा रही है तो उस हद तक अगर गवर्नमेंट को मुबारिकबाद दी जाय तो उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ।

कॉकन जैसा कि एक साथी ने अभी कहा हमें उम्मीद थी नागपुर कायम के अजनाय के बाद यह बिल हमारे सामने आ रहा है और हिन्द सरकार मुबार्द मरनारों से यह उम्मीद करती है कि वे अपने अपने यहाँ अर्थ के मुताल्लिक जो कानून बनाये गये हैं उनमें सुधार कर ना हम यह उम्मीद करेंगे कि जहाँ तक हिन्द सरकार का ताल्लुक है और जिन जिन टैरिटरियों के बारे में यह कानून बना सकती है उनके लिए वह एक ऐसा कानून बनायेगी जोकि दूसरे राज्यों के लिए नमूने का काम करेगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पड़ोस के राज्य पंजाब में जो इस बारे में कानून बना हुआ है,

[बी नं० ५० जैम]

उस प्लॉट पर ऐसा मालूम होता है कि यह बिना उससे भी पीछे है ।

मेरे मित्र दीलता साहब ने कहा कि उन जमीनों की जिन की मालिक पंचायतें बनती हैं या गांव सभायें बनती हैं उनका मुद्दावजा चार गुना या उससे भी ज्यादा होना चाहिये । दीलता साहब भी पंजाब से घाये हैं और मैं भी पंजाब से घायी हूँ । मैं उनकी तबज्जह पंजाब के विल्लेज कामन लैंड्स एक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूँ । इस एक्ट के सैक्शन ७ में यह कंटेम्प्लेट (Contemplete) किया गया है कि जो भी शामलात जमीनें हैं और इस एक्ट की रू से जिन की पंचायतें मालिक बनी हैं उनके लिए किसी भी बिस्वेदार को एक कौड़ी भी मुद्दावजा नहीं दिया गया है और मुद्दावजा धदा न करने की बान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में उठाई गई है लेकिन बहा पर भी इस चीज को जायज करार दे दिया गया है और किसी मालिक को कोई मुद्दावजा नहीं दिलवाया गया है । मैं नहीं समझ पाया हूँ कि यह मुद्दावजे की बात यहा पर इस बारे में क्यों रखी गई है और इससे भी ज्यादा हेरानी की बात यह है कि कुछ मैम्बर साहिबान की तरफ से यह कहा गया है कि मुद्दावजे की रकम ज्यादा होनी चाहिये ।

दूसरी बड़ी ताज्जुब की बात इस बिल में यह रखी गई है और जिसकी तरफ मैं समझता हूँ कोई ध्यान नहीं दिया गया है और हमारे साथी नवल प्रभाकर जी ने उम चीज को उठाया है, कि दिल्ली के देहातो में जो हरिजन मकानात में रहने हैं उनकी तह जमीन के बारे में उनको यह बिश्वास नहीं है कि उसके मालिक वे हैं । नहीं । जब कभी मकान गिर जाता है तो लोग अबदस्ती भा जाते हैं और उनको इराने धमकाने लग जाते हैं । इस प्लॉट पर भी पंजाब का जो कानून The Punjab Village Common Lands Act है वह बहुत घावे है । वहां उसी कानून में यह

बात चार बरस से रखी गई है कि जो मकान के नीचे जमीन है उसका मालिक हरिजन है । मैं समझता हूँ हमारे होम मिनिस्टर साहब को कम से कम इस कानून में भी सैक्शन ७ में उरा सी एमेडमेंट करके सुधार कर देना चाहिये या फिर इस प्लॉट पर पंजाब के कानून के मुताबिक चीज हो सकती थी ।

जहां तक मुद्दावजे का ताल्लुक है एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूँ । मुझे पंजाब के बहुत से देहातों के शरत बाजब-स धरज का पता है । साठ बरस पहले सैटलमेंट के सक्कमे में ब्रिटिश प्राक्सिसर ने जो शारायत रखी और जो प्रलफाज सैटलमेंट मीनुप्रल बगैरह में लिखे हैं उसमें लिखा है कि बजर जमीनों पर, गायराव गोचर जमीनों पर, शामलात जमीनों पर न सिर्फ बिस्वेदारो का हक है बल्कि बहुत सी जगहों पर गावों के हर बसने वाले का हक है और यह हक आज तक चला भा रहा है । आज भी उन पर उन सब का हक है । जब हर किसी का हक है तो फिर कैसे कोई मुद्दावजे का मुस्तहिक हो सकता है । उनकी आज गाव पंचायतें मालिक हैं जो सब के भले का काम करती हैं । पंजाब के कानून में यह रखा गया है कि जिस जमीन में चाहे वह १,००० बीघे हैं, चाहे ५,००० बीघे हैं जो शामलात पडी थी, अगर उनमें अगर चराने में या दूसरी चीजों में गावों के सब बाशिन्दगान का हक है तो कम बजह है कि मुद्दावजा दिया जाये । पंजाब के देहातो में वही टैगोर है, जो दिल्ली के देह तो में और मैं समझता हूँ कि यहा भी कोई मुद्दावजा नहीं दिया जाना चाहिये ।

अब मैं सीलिय की बात पर आता हूँ । यह कोई नई बात नहीं है, सन् १९५५ के कानून में यह बात थी कि तीस स्टैंडर्ड एकड से फालतू घागे किसी के पास जमीन नहीं होगी । लेकिन जिन के पास पहले से तीस स्टैंडर्ड ए - ड से फालतू जमीन है और जो उनके मालिक हैं उनका क्या बनेगा ? इस बारे में

की स्वीच माननीय होम मिनिस्टर साहब ने की है उससे तो यही पता चलता है कि वह कानून ला रहे हैं और वह चुन कर मुझे चुनो भी हुई है। अगर इसी सेशन में इस कानून को वह लायें और वह एक नमूने का बिल हो और वह दिल्ली स्टेट पर तथा दूसरी जो यूनिवर्सल टैरिटरियल हैं उन पर लागू हो तो अच्छा रहे फिर हम पञ्जाब को उत्तर प्रदेश को तथा दूसरी स्टेट्स को कह सकते हैं कि देखिये यह नमूने का कानून है जो पार्लियामेंट ने बनाया है लैंड्स के मुताबिक।

इसके अलावा एक और बात कही गई है जिस पर मुझे सासा त उम्ब हुआ है। यह बात मेरे साथी राधा रमण जी ने कही है। उन्होंने कहा कि २७ अक्टूबर १९५६ से पहले जितनी भी खरीद और फोक्त हुई है उस सब को जायज करार दे दिया जाये और इसके हक में वह कई धार्नुमेंट्स दे रहे थे। जहाँ तक मैंने यह बिल स्टडी किया है मैं समझता हूँ कि इस एमेंडिंग बिल की क्लाज १ की सब-क्लाज २ से उनका मशा पूरा होता नजर आता है। वह कहते हैं कि संकशन ७ की जो एमेडमेंट इस बिल की क्लाज ५ के द्वारा हो रही है उसके मुताबिक जो खरीद और फोक्त २० जुलाई १९५४ और २७ अक्टूबर १९५६ के बीच में हुई है उन्हीं को तसलीम किया गया है। अगर क्लाज ५, क्लाज १ की सब-क्लाज २ सब को मिला कर पढ़ा जाये तो पता चलेगा कि २० जुलाई, १९५४ से पहले तो यह कानून लागू ही नहीं होगा। यह कानून लागू होता है २० जुलाई १९५४ में। इससे पहले चूँकि यह कानून या एमेंडिंग कानून लागू ही नहीं इस बादा यह असर भदाज नहीं होता है। इस बादा जो उनकी भाग है वह मुझे सुपरफ्लुअस (Superfluous) ही नजर नहीं आती है।

१५ गांवों के बारे में भी यहाँ कुछ कहा गया है और बताया गया है कि वहाँ पर भी कुछ खरीद व फोक्त हुई है। लेकिन संकशन 619 L.S.D.—7

२० की सब-क्लाज ४ जो है उससे यह मशा पूरा हो जाती है। उसमें लिखा है —

"Nothing in this section shall affect the interests of a bona fide purchaser for value in any land referred to in sub-section (1) in respect of any sale made on or after the 8th day of January, 1957, and before the 1st day of January, 1958"

यहाँ तक कि ८ जनवरी, १९५७ के बाद और १ जनवरी, १९५८ से पहले जो भी खरीद फरोक्त हुई है वोना फाइड हुई है, उस पर इस कानून का कोई असर नहीं होगा। इसलिये जितना भी प्रोटेक्शन और जिस तरीके पर भी दिया जा सकता था वह इस एमेंडिंग बिल में दिया गया है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इनका प्रोटेक्शन देना ही नहीं चाहिये था। एक तरीके से यहाँ सन् १९५४ के कानून के भी पीछे हम जा रहे हैं क्योंकि इनके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी। मुझ तो नाज्जुब है कि मेरे दोस्त और भी ज्यादा प्रोटेक्शन भागन है जिम में कानून का मशा हो खत्म हो जाय। बल्कि जितन भी सूबों में भूमिसुधार के मन्तानिक, जमीनों की बाबत जो भी कानून बन है उन सब में यह कमी रह गई कि जमीनों का लैंडलेस लोग नहीं पा सके। लोगों ने कानून की कमी का फायदा उठाया बहुत ज्यादा फायदा उठाया और अब हमारे दोस्त यह प्लीड कर रहे हैं कि इस से भी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिये। यह बात ठीक नहीं है। इस से ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिये।

16 hrs.

मैं इस बिल में एक चीज की कमी देखता हूँ जिस की तरफ कुछ तबज्जह भी दिलाई गई है थोड़े से शब्दों में। यह है एमेंडिंग बिल के क्लाज १२ में जो कि ओरिजिनल ऐक्ट का मेकशन ३३ है। उस में क्लाज (बी) में जोड़ दिया गया है

[श्री यू० एं० जैन]

In clause 12—

“(b) the transferor shall be left with an uneconomic holding of less than eight standard acres in the Union territory of Delhi:”

ऐसी किसी खरीद फरोस्त को जायज न माना जाय जब कि बेचने वाला ८ स्टैन्डर्ड एकड़ से कम का मालिक रह जाय । मैं नहीं समझता कि यह कैसे कवर (cover) होता है । अगर किसी के पास ६ या ४ स्टैन्डर्ड एकड़ ही हो और वह बेचना चाहे तो धाप क्या करेंगे । मेरी राय में यह केस (case) इस से कवर नहीं होता और होम मिनिस्टर साहब मैं समझता हूँ कि इस पर तबज्जह देंगे क्योंकि कोई भी भ्रादमी २ या ४ स्टैन्डर्ड एकड़ का मालिक है जो कि बिल्कुल अन-इकानमिक होल्डिंग है और दूसरा भ्रादमी जिस के पास कुछ कम जमीन है वह उसे खरीद कर अपनी इकानमिक होल्डिंग बनाना चाहता है तो उनमें क्या हर्ज है ? अगर हम प्राविजन में यह क्वालिफिकेशन (qualification) न हो तो शायद ऐसे लोगों पर एकावट होगी और वे अपनी जमीन को बेच नहीं सकेंगे । जो छोटे मालिक हैं, चीफ कमिश्नर साहब को भी अख्तियार नहीं है उस के खरीद फरोस्त की इजाजत देने का । अगर कोई भ्रादमी अपनी जमीन को बेच कर किसी दूसरे रोजगार पर जाना चाहे तो उस की जमीन को कोई नहीं ले सकता है । तो हम बिल में मुझे यह कमी नजर आती है । मेरा इशारा, जो अर्मेंडिंग बिल है उस के क्लॉज १० के सब क्लॉज (बी) की तरफ है । मेरा यह सुझाव है कि हम जिस तरह के कानून की उम्मीद सूबे की सरकारों से करते हैं उसी तरह के बिल हम हाउस में भी पास करे और कम से कम पड़ोस की यू० पी० और पंजाब सरकार ने जो कानून बनाया है, उस के लेवेल पर औरन ही लायें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ ।

डा० सुशीला नायर : चेयरमैन साहब, मैं

भी दो शब्द इस कानून के मुताबिक कहना चाहती हूँ, श्री राधा रमण के अर्मेंडमेंट के समर्थन में । श्री मूल चंद जी ने अभी जो बातें कहीं, उन से मेरे दिमाग पर कुछ ऐसा असर हुआ कि शायद उन्हें लैंड रिफार्म्स कानून का जो अर्मेंडमेंट यहां रखा गया है, उस का इतिहास ठीक से जानुम नहीं है । यह सही बात है कि सन् १९५४ में दिल्ली सूबे में एक लैंड रिफार्म्स विधेयक बनाया गया था । उस के पीछे स्वाहिहा यह थी कि दिल्ली में जो किसान खेती करते हैं उन को जमीन मिले और मालिक जमीन को बेच कर उन को उन के हक में महकूम न कर सकें । अगर उस के साथ ही साथ कुछ नई म्यूनिसिपैल्टियां बनाई गई थी और उन म्यूनिसिपैल्टियों में जो गांव धा गये या शामिल कर लिये गये उन को उस कानून से एग्जेंम्शन दे दिया गया । उस समय पंद्रह गांव और ऐसे थे जिन में लैंड ऐक्विजिशन का नोटिफिकेशन इम्प्लूवमेंट ट्रस्ट ने दे रखा था । अब जो लोग इन १५ गावों की जमीनों में इटरेस्टेड थे उन्होंने और गुल मचाया कि जो जमीनें और जो गांव धाप की नई म्यूनिसिपैल्टियों में धा गये हैं, उन्हें तो प्राग्ने एग्जेंम्शन दिया है तो फिर प्राज इन पंद्रह गावों को एग्जेंम्शन क्यों नहीं देते ? उन का नोटिफिकेशन हो चुका था जो कि जमीन एक्वायर नहीं की गयी थी । इस चीज को देखते हुए उस बिल की दिल्ली विधान सभा और दिल्ली सरकार ने यह मुनासिब समझा कि उन पंद्रह गावों को भी उसी प्रकार एग्जेंम्शन दे दिया जाय । अब हकीकत यह थी कि उन पंद्रह गावों में न तो कोई अरबनाइजेशन हुआ था और न ही वहां की जमीन कुछ अरबनाइजेशन के हल्के के अन्दर आ रही थी । यह महज एग्रिकल्चरल जमीन थी और उन को एग्जेंम्शन दे दिये जाने से नतीजा यह हुआ कि उन पंद्रह गावों के जो किसान असल खेती वाले जमीन के मालिक बन सकते थे उन को उस से नुकसान हुआ और मालिकों को

इजाजत हो गई कि उन जमीनों को वे बेच सकें। इस प्रकार धनी जब यह सवाल भारत सरकार के सामने आया तो हमारे गृह मंत्री ने इस सारी बात को समझ कर यह तय किया कि इन पंद्रह गांवों को एग्जेंशन देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन गांवों में इस वक्त किसी प्रकार से कोई भरबनाइजेसन नहीं हो रहा है। लिहाजा यह अमेंडमेंट आप के सामने पेश हुआ।

अब सन् १९५४ और १९५६ इन दो सालों के अर्से में कुछ खरीद फरोस्त हो गई थी, सन् १९५६ से अब तक कुछ और खरीद फरोस्त हो गई होगी। उन का क्या किया जाय? इसलिये इस अमेंडमेंट में रखा गया कि जो बोनाफाइड ट्रान्जैक्शन एक खास पीरियड में हुए उन को भी इस में शामिल कर के सुरक्षित कर दिया जाय और उन के बारे में कोई उज्य न उठाया जा सके। अगर उस खास जमाने के आस पास या सन् १९५४ से भी पहले १९५३ या १९५२ में भी कुछ ऐसी जमीनें थी जिन की खरीद फरोस्त हुई, खास कर कुछ बंजर जमीनें बिकी जिन पर खेती का सवाल नहीं उठता। अब सवाल यह है कि जो इस डेढ या दो साल के जमाने की ट इम लिमिट है उस का क्या हो। मैं यह मजूर करती हूँ कि इस अर्से में जो खरीद फरोस्त हुई उस खरीद फरोस्त का हम तसलीम कर में इस में हम किसी प्रकार की बाधा नहीं डालें। इस के लिये जो शब्द इस विधेयक में रखे गये हैं वे हैं :—

"during the periods specified in sub-clause (b) of clause 5(11)

क्लाज ५(11) की सब क्लाज (बी) में जो पीरियड है, वह है :—

... "during the period commencing on the 20th day of July, 1954 and ending with the 27th day of October, 1956.

अब जो यह २० जुलाई १९५४ से २७ अक्टूबर १९५६ तक की छूट देने की बात करते हैं,

उस का नतीजा यह आता है कि डेढ या दो साल की खरीद फरोस्त को आप ने प्रोटेक्शन दिया और उस से पहले की खरीद फरोस्त को जो प्रोटेक्शन आप ने दिया हुआ वह रह ही गया। यह ठीक नहीं। अब उस बंजर जमीन को खरीदने वाले भी अपने ही लोग हैं गरीब लोग हैं, अगर पैसा होता तो वह बाहर में ही जमीन लेते, लेकिन उन्होंने ने दूर दूर जा कर जमीनें लीं। वहां की जमीन बिकने ही वाली है। अगर आज सरकार उन जमीनों को इस कानून की सुरक्षा से निकल लेती है और उन की खरीद फरोस्त को रद्द कर देती है तो इस का नतीजा यह होगा कि जो मालिक हैं उन जमीनों के वह उन्हें ज्य दा द में पर बेचेंगे। जिन गरीब लोगों ने पहले से अपना रुपया खर्च किया हुआ है और उसे पांच या छः बरस से इन जमीनों में रोका हुआ है, उन को नुकसान होगा। अगर हम यह सोचते हैं कि पुरानी की हुई सब की सब खरीद फरोस्त को हमें रद्द करना है तो भी वह समझ में आ सकती है, आप पुराने किये हुए सारे ट्रान्जैक्शन्स को कंसिल कर देना चाहते हैं तो कर दीजिये, लेकिन अगर हम सिर्फ दो साल को एग्जेंट करते हैं और ब की पीरियड को यहां से छोड़ देते हैं तो कोई ठीक चीज बनती नहीं है, कोई भी मुनासिब चीज इस तरह नहीं बनती है। इसलिए यह जरूरी है कि श्री राधा रमण ने अपने ३ नम्बर के अमेंडमेंट में २७ अक्टूबर १९५६ तक जो ट्रान्जैक्शन्स हो चुके हैं और वे अगर बोनाफाइड हैं तो उन को प्रोटेक्शन देने के लिए कहा है उसे स्वीकार किया जाये। अलबत्ता जो उन में मैलाफाइड हों उन को बेशक प्रोटेक्शन न दिया जाय। मुझे श्री राधा रमण का यह अमेंडमेंट मुनासिब लगता है।

दूसरे जो अमेंडमेंट्स हैं वे कांसीक्शनल अमेंडमेंट्स हैं और मुझे उन के मुताल्लिक कुछ नहीं कहना है। जहां तक श्री राधा रमण के संशोधन का सम्बन्ध है, मेरी समझ में

[डा० सुशीला नायर]

वह न्यायोचित है और गृह मंत्री महोदय भी मुझे आशा है कि ऐसा समझते हुए उस को स्वीकार करेंगे ।

Mr. Chairman: Now, Shri Vajpayee I hope he will take some five minutes

Shri Vajpayee: Not five minutes, but a little more

Shri Panigrahi (Puri). This will continue up to 5 p m

Mr. Chairman: I do not know how much time it will take How much time will the hon Minister take?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): The whole Bill has to be finished today, by 5 P M I shall take only ten minutes now, not more And clause-by-clause consideration also has to go on

श्री वाजपेयी . सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि सरकार को भूमि सुधार और उस से सम्बन्धित सभी समस्याओं का विचार कर के जिस तरह का विधेयक इस सदन में उपस्थित करना चाहिये था, वैसा नहीं किया गया है और इस दृष्टि से यह विधेयक अधूरा है और अधूर्ण है और इस के मूल में भूमि सुधार की कोई समन्वित योजना नहीं दिखाई देती ।

जहाँ तक १५ गावों को विधेयक के अन्तर्गत लाने का प्रश्न है उस से किसी को मतभेद नहीं है लेकिन अभी यह आशा प्रकट की गई कि भूमि सुधार से सम्बन्धित अन्य पहलुओं पर सरकार इसी सत्र में एक विधेयक लाये तो मैं समझता हूँ कि इस विधेयक को थोड़े दिनों के लिये रोका जा सकता था और सरकार एक ऐसा विधेयक ला सकती थी जिस में कि केवल १५ गावों का ही विचार नहीं होता और बिना किसी के प्राचीन क्षेत्र में भूमि सुधारों का समन्वित रूप क्या होगा इस का भी स्पष्टीकरण किया जाता । इस दृष्टि से यह विधेयक

सरकार के लिये कोई एक बड़े साधुवाद का विषय है, ऐसा मान कर मैं नहीं चलता ।

एक बात की ओर इस सदन में विचार उठ खड़ा हुआ है कि १९५४ और १९५६ के बीच में इन १५ गावों के अन्तर्गत जो भूमि है उस को ले कर अगर कोई उचित सरीद फरोस्त हुई है तो उन को तो एग्जम्पशन दे दिया गया है लेकिन इस से पहले जिन्होंने कि भूमि की सरीद फरोस्त रहने के मकानों के लिये की, उन के लिये यह विधेयक दब के रूप में लिया जा रहा है । अब अगर सरकार ने देर से कानून बनाया और ऐसा कानून बनाया जिस से कि जमींदार किसानों को अदावत में ले जा कर दो साल तक उलझाने में सफल हो गये तो इस गलती का दब उन लोगों को नहीं मिलना चाहिये जिन्होंने कि पिछले अधिनियम के अन्तर्गत रहने के मकानों के लिये किसी प्रकार की भूमि । क्रय या विक्रय किया हो और मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में श्री राधा रमण ने जो समझौता रखा है उसे स्वीकार किया जाना चाहिये ।

इस के साथ ही इन दो सालों के बीच में जो बजर भूमि है उस में कुछ ऐसा क्षेत्र भी है जिस पर खेती की गई है और इस विधेयक के अन्तर्गत अगर भूमि का उपयोग नान एग्जि-कन्चरिस्ट परपज के लिये किया गया है तब तो एग्जम्पशन की बात मानी गई है लेकिन अगर उस पर खेती की गई है तो उसे एग्जम्पशन मिलेगा, ऐसा इन विधेयक की शब्दावली से कम से कम स्पष्ट नहीं होता । मैं समझता हूँ कि अगर इन दो वर्षों में किसी ने अपने परिश्रम में बजर भूमि को उपजाऊ बनाया है और धाक उस पर खेती हो रही है तो उस को भी एग्जम्पशन में शामिल किया जाना चाहिये ।

जहाँ तक हरिजनों को भूमि देने का प्रश्न है उस में किसी को मतभेद नहीं लेकिन हरिजन भाइयों को भूमि देने मात्र से ही समस्या इस

नहीं होगी। भूमि पर खेती बढ़ी करने के लिये साधन चाहियें। उस के लिये हल, बैल और बीज बर्बरद की आवश्यकता होगी और बिना साधन सम्पन्नता के उस भूमि का उपयोग भी क्या होगा ?

अब कहा जाता है कि नागपुर कांग्रेस के प्रस्ताव के अन्तर्गत जिस की कि कुछ सदस्यों ने चर्चा की, यद्यपि वह प्रस्ताव अभी तक कागज में ही सीमित है और इस विधेयक में उस के बहुत धर्मन नहीं होते, उस में कहा गया है कि सहकारी समितियां बनाई जायेंगी। मेरा निवेदन है कि अगर हरिजनो को भूमि देने का उद्देश्य उन की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाना है जो कि आवश्यक है तो फिर हरिजन भाई उस नागपुर प्रस्ताव के अन्तर्गत स्वयं स्वामी नहीं बनेंगे बल्कि जो कोऑपरेटिव फार्म्स होंगे उन में यह नौकर हो जायेंगे। कागज में भले ही उन को भूमि के स्वामित्व की प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाये लेकिन गांव का हरिजन भाई कोऑपरेटिव फार्म्स क्लेकटिव फार्म्स में बदल जाने से सरकारी मशीन का एक पुर्जा मान बन कर रह जायेगा, मजदूर हो जायेगा। अगर इस सुधार का उद्देश्य हरिजनो का प्रतिष्ठा प्रदान करता है तो मेरा निवेदन है कि इस में वह आप का उद्देश्य पूरा नहीं होगा और उत्पादन बढ़ाना है तो मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य के तो पूरा होने की सम्भावना ही नहीं है। अगर इस विधेयक में अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित नहीं की गई है तो मैं समझता हूँ कि यह सरकार के लिये अच्छी बात नहीं है। सीमा तो निर्धारित होनी ही चाहिये। देश में खाद्यान्न का उत्पादन हम घनी खेती के द्वारा ही बढ़ा सकते हैं लेकिन भूमि जिन्हें दी जानी चाहिये, वह उस का उचित उपयोग कर सकें ताकि उत्पादन बढ़ सकें, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है।

मुद्राविजा देने के सम्बन्ध में भी कुछ चर्चा की गई है। हमारे संविधान में मुद्राविजे

की व्यवस्था है और मैं समझता हूँ कि इस विधेयक के अन्तर्गत जो मुद्राविजे की दर रखी गई है वह जमीन की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए ठीक नहीं है। म्याज की दर भी बहुत कम है। मुद्राविजे की दर बढ़ानी चाहिये। यह मुद्राविजे का अधिकार एक दुधारू तलवार है जो कि दलों तरफ चल सकती है। जब किसान से जमीन ली जाय तो सरकार एकवार करे तब भी मुद्राविजे की दर कम रहती है तो अगर विधेयक में हम स्थायी तौर पर यह व्यवस्था कर दें जिस के कि अन्तर्गत मुद्राविजा कम दिया जाय तो उस का उपयोग किसानों के विपक्ष भी किया जा सकता है।

जहां तक श्री राधा रमण के सशोधन का सम्बन्ध है मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को जिन्होंने कि क्रय विक्रय किया है, उन्हें उस से छूट मिलनी चाहिये और केवल सन् १९५६ तक ही नहीं बल्कि इस विधेयक के ऐक्ट बनने तक भी अगर हम यह छूट दे दें तो इस में किसी को कोई धापति नहीं होनी चाहिये। स इस से अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है।

Shri Datar: While I was following the arguments and the points raised by hon Members, I was surprised to find that some hon Members had suggested that the Bill had not been satisfying the legitimate interests of the cultivators or the agriculturists; on the other hand, another hon Member suggested that the interests of the urban area in Delhi ought also to be taken into account so that ultimately the prosperity, as he suggested, of the whole nation had to be duly considered. Now, in between these two circumstances, we have to find out what is the best and what ought ordinarily to be the priorities for consideration.

So far as these villages, the rural areas of the Delhi Administration, are concerned, naturally we have to give the topmost priority to the interests of the agriculturists or the cultivators

[Shri Datar]

Let that fact be made very clear, that though, so far as Delhi is concerned, to a certain extent some special considerations have to be taken into account, the most important priority has to be given to the rural population. That is the purpose that was before the Delhi Legislature in passing the Delhi Land Reforms Act, 1954. Therefore, as the Home Minister pointed out this morning, this particular legislation is, as a matter of fact, one of the most progressive, if not the most progressive, piece of land reform legislation in the whole of India. I would request those hon. Members who have not gone closely through the provisions of the original Act of 1954 to see what revolutionary changes have been made for the purpose of investing cultivators with proprietary or *bhoomidari* rights. You will find that the Delhi Legislature went to the farthest extent in giving very important rights to different classes of cultivators, and, therefore, to that extent, all that has been done has to be considered as a piece of highly progressive legislation.

May I also point out that 15 villages had to be kept aside or excluded from the operation of the Act of 1954, because in 1956 it was considered that they ought to be excluded in the interests of the development of urban areas, because the Improvement Trust had either issued notifications or desired to have all that area for the purpose of developing Delhi itself? May I also point out that the area in these 15 villages was fairly large? In fact, in this area there were 2068 acres of waste land, 1951 proprietors and 1535 tenants or occupants. The acreage held by the tenants was 2956 and by proprietors 6429. Therefore, this was as very large extent of area to which the Act of 1954 had not been applied for the consideration I have already pointed out, namely for developing Delhi through the Improvement

Trust. But when it was found that there was no immediate prospect of using this particular large area, naturally Government had to consider the question of allowing the cultivators to have the fullest benefit under the Act of 1954. That is the reason why on highly equitable grounds and in the interests of the agriculturist population this exemption has been removed, and I am happy that at least so far as this portion of the Bill is concerned, it has been welcomed on almost all sides except by one hon. Member who contended that the development of Delhi should be taken into account and this exemption ought not to have been taken away because ultimately, according to him, the prosperity of Delhi might mean the prosperity of India. To a small extent, this is true, but this prosperity of Delhi cannot be set up against the prosperity which we desire the agricultural population to have. That is the reason why it has been found necessary to remove this exemption and to have the Act of 1954 apply to all these areas

Now, during the intervening period, certain events have happened. They have to be taken into account. So far as these 15 villages are concerned, they ought to get all their rights on the footing that the 1956 Act had not been passed, that is, their rights have to relate back to the date when the Delhi Land Reforms Act was passed. And for that purpose, it was rightly pointed out that if there were decrees, then those decrees also would have to be annulled by the legislature with a view to give effective benefit to the people of these 15 villages. But if there are any transferees for value, without any particular notice, because they did not believe that this particular exemption would be taken away, then according to one of the most important principles of law, if those particular transferees are *bona fide*, naturally their interests have to be protected.

16.37 hrs.

[Mr. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

✓ I fail to understand what Shri C. K. Nair means when he says that the vendors or sellers should not be protected, if, for example, there has been a particular sale which is unconscionable, it is open to the vendor to take action against it and to have it set aside under the ordinary civil law. What happens is that whatever might be the particular facts of the case, ordinarily a vendor receives some consideration and then only parts with possession or title. Therefore, it is that the question of the honesty of transaction comes in so far as the protection to be given to a bona fide purchaser or transferee is concerned.

Shri C. K. Nair: What about the motive of the seller?

Shri Datar: So far as the law is concerned, the motive is entirely immaterial. I may repeat that if a particular transaction is unconscionable, we have got provisions under the Contract Act under which such a sale or agreement, whatever it is, will be set aside. That is for the purpose of safeguarding the legitimate interests of a person who cannot protect his own interests or who falls into the clutches of another person, namely, a purchaser. But here we are concerned with the question of bona fide purchaser and the word bona fide is there to show that there cannot be any unconscionable transaction as such. That is why that expression has been used. Therefore, their interests have to be protected consistently with the other overriding interests of the persons in whose interests the legislation is to be passed.

Shri C. K. Nair: Is not this word coined to camouflage the intention of the legislation?

Shri Datar: I am afraid there is no camouflage. Let not the hon. Member go on with the feeling that all this has been a camouflage. It is en-

turely wrong; perhaps it is an unhealthy view that he is holding.

Then I would make a reference to Shri P. S. Daulta. He contended that so far as the waste land in the possession of these private persons was concerned, when it had to vest in the gaon sabha, a larger amount of compensation should be paid. I believe, he stated ten times the market value or some such thing. I am afraid, here two circumstances should be taken into account. This is not an acquisition by Government for public purposes. If the land is not a waste land, if the land is duly cultivated, then it cannot vest in the gaon sabha at all. Secondly, here you will also kindly understand that when the land is a waste land of a private owner it does not go to anybody else for any particular purpose, but it vests with the whole body of the villagers called gaon sabha. That is one of the peculiarities, one of the special features of the Bill, that the waste lands, if there are any in a village, ought not to remain as waste lands but they should be used for proper and legitimate purposes. That is the reason why one of the most important points in the Act of 1954 was the creation of gaon sabha. Therefore, all these waste lands go only to the whole village as a unit, and the unit includes the farmer, the owner or the cultivator of the land if at all he cultivates it. Under these circumstances, may I point out, there is no substance in that particular contention.

May I also invite his attention to the analogy of Punjab itself where such lands vest in the gaon sabha without any compensation at all? Let not the hon. Member forget this particular circumstance.

The third point he made was that interest should be paid at a higher rate. Now, when the amount of compensation is not paid until it is paid interest is at the rate of 2½ per cent. This is the rate of interest that we have accepted from the UP law on the subject of abolition of zamindari.

(Shri Datar)

system and land reforms. Therefore, we are in good company so far as the question of interest is concerned

Then, Shri Radha Raman is just going to move a particular amendment. I am going to accept the principle of the amendment and I am going to suggest certain amendments so as to bring it in line with the spirit of this Bill. One hon Member, I think it was Shri Daulta himself, was very nervous that I was going to accept his amendment. May I tell him that here we have to take into account all the interests which were advocated by another hon Member. Therefore, that amendment will have the effect of protecting such transfers for non-agricultural purposes that have taken place up to October, 1956. This was the date on which the earlier Act was passed. Then certain difficulties were created. There were some litigation etc. and on account of that nothing could be done. Therefore, this is a material date. We go back until that date—not only to the time when the Land Reforms Act of 1954 came into operation, but even before. The object is that if due to ignorance of what is going to happen in the future certain transactions have been made certain lands have been sold in plots all those will be saved, especially so far as uncultivated lands are concerned if they are for non-agricultural uses. Naturally, as I have pointed out, *bona fide* transferees have always to be protected. That is the reason why I am going to accept the amendment of Shri Radha Raman with certain verbal changes.

Then there is one more amendment namely, amendment No. 6, which I am going to accept. It says that all rules made under this Act shall be laid for not less than thirty days before both Houses of Parliament, and it will be open to consideration or revision if found necessary by both the Houses of Parliament.

So far as other portions are concerned, I may point out that we have

tried to go to the farthest extent to protect the interests of these cultivators. That was the reason why this particular Bill was passed in 1954. We are making changes only for the purpose of improving its utility.

A point has been made with regard to the 15 villages. But, another point should also be noted so far as the formation of the gaon sabha is concerned. There was some discrepancy in the wording of the two Acts passed by the then Delhi Legislature regarding the exact composition of a gaon sabha, whether it should consist of all adult residents of the place or whether it was to consist of all the voters. On account of this ambiguity which remained there nothing could be done. That is the reason why this particular Bill has been brought forward with the object of removing this particular discrepancy, and for having a uniform provision of law so far as this is concerned. Therefore, I would point out that the sooner we have an enactment on this subject the better.

Shri Vajpayee contended that we might wait till the question of ceiling itself is settled. That will be duly considered. And, as the Home Minister pointed out, it is our desire to have an amending Bill as early as possible—if it is possible within this session or at least during the next session. That is our object. But, it would not be advisable in the interests of these people—especially the villagers of these 15 villages—to hold up the whole work, the formation of the gaon sabhas and also the benefits made available to the people concerned.

Shri V. P. Nayar (Quilon): Have all the points been covered?

Mr Deputy-Speaker: If any be made that can be covered later when we discuss the Bill clause by clause.

The question is:

“That the Bill further to amend the Delhi Land Reforms Act, 1954 be taken into consideration.”

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: Is Shri Sarhadi moving his amendment?

Shri Ajit Singh Sarhadi: No, Sir.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill

Clause 5—(Amendment of section 7)

Shri Datar: Sir, I move:

Page 3, line 22,—

for "1958" substitute "1959"

Shri Radha Raman: Sir, I move my amendment No. 3.

I beg to move.

Page 3, line 10,—

for "during the period specified in sub-clause (b)" substitute "up to the 27th October, 1956".

Shri Datar: Sir, amendment No. 3 requires some change

Shri Radha Raman: If the hon. Minister reads the amended form I may accept it

Shri Datar: I would accept it in this form

(i) In page 3, lines 6—8,

for "during the period commencing on the 20th day of July 1954, and ending with the 27th day of October 1956," substitute "at any time before the 28th day of October, 1956," and

(ii) In page 3, for lines 9—10, substitute "(c) acquired by a bona fide purchaser for value at any time before the 28th day of October, 1956, for purposes other than those mentioned in clause (13) of section 3."

Shri Radha Raman: I find that the purpose of my amendment is served by the amended form which the hon. Minister has read out. I accept it

Shri Ajit Singh Sarhadi: Sir, I move:

Page 3, line 8,—

for "27th day of October, 1956," substitute "31st day of December, 1956,".

I have sought for the extension of the date to 31st December, 1956.

Shri K. S. Ramaswamy (Gobichetupalayam) I have an amendment No. 6

Mr. Deputy-Speaker: But that does not relate to clause 5

Shri C. K. Nair: I move my amendment No. 9 I beg to move:

Page 3,—

omit lines 9 and 10

Mr. Deputy-Speaker: So, amendments Nos. 8, 9, 3 as amended and 4 are before the House now. Should I put them to the vote of the House? The hon. Members have already spoken

श्री नवल प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, राधा रमण जी का जो संशोधन है, मैं उस का विरोध करता हूँ और उस के लिये एक विशेष कारण है कि जो किसान हैं उन की भूमि को, और जैसा कि बजर जमीनों के बारे में कहा जाता है, बहुत जमीनें ऐसी हैं किसानों की जिन्हें जमींदारों ने छद्मता ली और उसी को प्रोटेक्शन देने के लिये यह संशोधन लाया गया है। मैं थोड़े में कह सकता हूँ कि इस तरह के बहुत से केसेज हैं दिल्ली के अन्दर। जब चकबन्दी हुई तो चकबन्दी के अन्दर किसान के कब्जे में जो जमीन थी—मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी इस बात को अच्छी तरह समझ लें—उन के सम्बन्ध में जमींदारों ने मिल कर उन किसानों को इस बात पर राजी कर लिया कि वह बजर जमीन ले लें और जो काश्त की जमीन थी वह उन्होंने अपने हाथ में ले ली यह कह कर कि उस को ज्यादा जमीन मिलेगी। इस तरह के बहुत से केसेज हैं और मुझे डर है कि वह सब लोग जो हैं इन बजर जमीनों में हैं उन से बेदखल

[श्री गणेश प्रभाकर]

हो जायेंगे क्योंकि जमींदारों ने उन बंजर जमीनों को बेच दिया है और एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जायेगा। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री इन सब बातों को देख लें, विचार लें और साच लें। उस के बाद ही इस सञ्चोधन को स्वीकार करे।

श्री प्र० सि० बीलता : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे मिनिस्टर साहब से जो खतरा था वह मैं सुन रहा हूँ कि दुस्त खतरा था। इस तरमीम के बारे में जो मेरे लायक दोस्त आनरेबल मੈम्बर साहब रख चुके हैं मिनिस्टर साहब कबूल करने के लिये कह चुके हैं। उस के बाद मैं इस बिल का बिल्कुल हिमायती नहीं हूँ और जो कुछ मैं न पहले कहा था वह सारे का सारा विषड़ा करता हूँ क्योंकि बिल का जो मकसद था, वह बिल्कुल फेल हो चुका। जो जमीनें मालिकों ने जागी दारों ने हासिल की थी, वह सब बेदखल हो जायेगी और बिक जायेगी। मैं आनरेबल मੈम्बर के साथ मुत्तफिक हूँ जो बोनाफाइड पर्चेजर हैं उन में एक भी शक़्स ऐसा नहीं जिस के बोनाफाइड पर्चेज को बेलेंज किया जा सके। इस अमेंडमेंट को कबूल करने के बाद इस ऐक्ट का सारा परपज जाया हो रहा है और यह अमेंडमेंट कतई कबूल करने लायक नहीं है।

श्री च० कृ. नायर . मेरा कहना यह है कि इस अमेंडमेंट को स्वीकार करने से कोई फायदा नहीं। आरिजिनल ऐक्ट में भी है और इस में भी बोनाफाइड पर्चेजर को स्वीकार किया गया है। मैं पूछता हूँ कि आखिर यह क्या बात है? मैं यहाँ पर बोनाफाइड पर्चेजर का सवाल नहीं उठा रहा हूँ। पर्चेज करने वाले सब बोनाफाइड होते हैं। वह मकान बनाने के लिये छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं। सास कर जैसा सरदार साहब ने फरमाया उस में बहुत से रिफ्यूजी भी हैं और लोघर मिडल क्लास के भी बहुत से लोग हैं। हमें

इस में कोई एतराज नहीं, हमारा एतराज यह है कि जो जमींदार इस कानून के परपज को सत्य करने के लिये, डिफ्रीट करने के लिये, कोशिश करते हैं, उन के खिलाफ आप क्या करते हैं? जो आपने मकसद के लिये मुजाहिरों को डिप्राइव करने की कोशिश करते हैं उन के लिये आप ने क्या किया? जहाँ तक जमीन का ताल्लुक है, उस में बोनाफाइड का सवाल तो बेचने वाले पर आता है। हमें बेचने वालों के इरावे पर शक है। वह उस को बेच चुका है और उस का पैसा भी हड़प कर लिया है। उस पैसे का हकदार आखिर कौन है? उस पैसे का हकदार अगर कोई है तो दो आदमी हैं। अगर बंजर जमीन है तो उस का असली मालिक और अगर मुजाहिरे के पास वाली जमीन बेची गई है तो मुजाहिरे को हक है और उस को भूमिधारी का हक पहुंचाना चाहिये। असल में सन १९५४ में जब यह कानून बन चुका था तभी से ज़ीनें त्रियने लगी थी और उस में अमेंडमेंट सन् १९५६ में लाया गया इस लिये १९५६ तक की खरीद पर शक किया जा सकता है। उमे अदालत में स्वेचन किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी जमीनें उस वक़्त से छोटे छोटे आदमियों ने खरीद रली हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अदालत में जो भूमिधर है वह इस को स्वेचन कर सकता है या नहीं कि जो मो-काल्ड जमींदार है उस को जमीन बेचने का हक था या नहीं। अब अगर हम इस चीज़ का अदालत पर भी छोड़ दे तो मुझे एतराज नहीं। लेकिन हम कहने हैं पार्लियामेंट उन का पक्ष क्यों ले? उन को हम क्यों बोनाफाइड करार दे दे? हमें जमींदार के ऊपर शक है जिस ने गरीब मुजाहिरे का डिप्राइव करने के लिये अपनी जमीन बेची और खपया ले लिया। अगर हम इसे मान भी लें तो यह पैसा यानी जो जमीन की कीमत है वह भूमिधर को जानी चाहिये और जैसा कि हमारे पूर्ववक्ता ने कहा था कि सचमुच में जो इस बिल का मकसद था

उस को हम इस अमेंडमेंट से रिफ्यूट करते हैं।
इसलिये जो अमेंडमेंट राधा रमण जी ने
पेश किया है मैं उस का विरोध करता हूँ।

Shri Datar: May I point out that all the hon Members who have spoken are under a misapprehension so far as the acceptance of this amendment is concerned. The amendment is for the purpose of removing all the difficulties, legitimate and proper, and not otherwise.

I should also like to add that for the purpose of making Shri Radha Raman's amendment clear, I am adding the following to clause 5. I have read only one part of the amendment. What I propose in this amendment is a slight change in sub-clause (c). The second part of the amendment is.

Page 3, lines 9 and 10, for sub-clause (c), substitute

"(c) acquired by a bona fide purchaser for value at any time before the 28th day of October, 1956, for purposes other than those mentioned in clause (13) of section 3"

In order to clarify the position, these two amendments must be taken together.

Mr. Deputy-Speaker: The question is

Page 3, line 8,—

for "27th day of October, 1956", substitute "31st day of December, 1958"

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is

Page 3,—
omit lines 9 and 10

The motion was negatived.

Shri Datar: That means sub-clause (c) of clause 5(a) (u) remains as it is.

Mr. Deputy-Speaker: Now, I shall put amendment No 3 of Shri Radha

Raman, as amended by the hon. Minister. The question is:

(i) Page 3, in lines 6—8,—

for "during the period commencing on the 20th day of July, 1954, and ending with the 27th day of October, 1956,"

substitute "at any time before the 28th day of October, 1956,"

(ii) In page 3, for lines 9 and 10,—

substitute "(c) acquired by a bona fide purchaser for value at any time before the 28th day of October, 1956, for purposes other than those mentioned in clause (13) of section 3"

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: The question is.

Page 3, line 22,—

for "1956" substitute "1959"

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: The question is

"That clause 5, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

Clause 6—(Amendment of section 11)

Amendment made.

Page 3, for lines 33 and 34, substitute—

"6 In section 11 of the principal Act, in sub-section (2), for the portion other than the proviso, the following shall be substituted, namely —"

[Shri Datar]

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 6, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

Clauses 7 to 11 were added to the Bill.

Clause 12—(Substitution of new section for section 33)

Mr. Deputy-Speaker: Any amendments to clause 12?

Shri C. K. Nair: I want the deletion of this clause

Mr. Deputy-Speaker: When did he give the amendment?

Shri C. K. Nair: Just now

Mr. Deputy-Speaker: That cannot be admitted unless it is acceptable to the Minister. My difficulty is that the rules do not permit me

Shri C. K. Nair: I can speak on the clause. This clause puts a restriction on the sale of land by a *bhumidar* who possesses less than 8 acres. In a city like Delhi, especially in the periphery, there is a great race for the purchase of land. The poor *kisan* cannot make himself self-supporting with 8 acres, unless it is an economic unit. If he sells even one acre, he may earn perhaps Rs. 10,000, which he can invest in some business and carry on his livelihood. So, I wonder why this restriction should be put on the poor *kisan* who owns less than 8 acres of land.

As a matter of fact, there are many people who possess less than 8 acres. But this restriction is put on those who possess more than 8 acres, but still are prohibited to sell land which may reduce their possession to less than 8 acres. So, I appeal to the hon. Minister to reconsider this matter. After all, we are not going to gain much by this nor are we going to encourage cultivation. Of course, we are very much interested in agricultural production, but will this small restriction on the poor land-owner increase our production much? The hon. Minister may kindly reconsider this.

Shri Datar: May I point out that what the hon. Member has suggested

will do the greatest disservice to the agriculturists? The desire is that they should have a minimum acreage of land with them for agriculture. That is the reason why there has been a prohibition in respect of transfers below 8 acres. As you will find, these 8 acres are "standard acres" in the sense that their quality, yielding capacity, etc. have been taken into consideration. The original Act makes it clear that the desire is that it should be an economic holding for a proper livelihood of an ordinary family of about 5 persons. So, the hon. Member's suggestion cannot be accepted.

Shri Radha Raman: I want a word of clarification.

Mr. Deputy-Speaker: After the Minister's speech?

Shri Radha Raman: Yes. In the case of less than 8 acres of land, is acquisition by the Government also prohibited?

That is an entirely different question. It will be governed by the Land Acquisition Act. That is entirely immaterial here.

Mr. Deputy-Speaker: The question is

"That clause 12 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

*Clause 12 was added to the Bill.
Clauses 13 to 18 were added to the Bill.*

New Clause 18A

Shri K. S. Ramaswamy: I have got my amendment No. 6.

Shri Datar: I am going to accept it.

Shri K. S. Ramaswamy: I beg to move.

Page 7,—
after line 11, insert—

"18A In section 191 of the principal Act, after sub-section (2)

the following sub-section shall be added, namely:—

'(3) All rules made under this Act shall be laid for not less than thirty days before both Houses of Parliament as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as Parliament may make during the session in which they are so laid or the session immediately following''

Mr. Deputy-Speaker: The question

is

Page 7,—

after line 11, insert—

"18A In section 191 of the principal Act, after sub-section (2) the following sub-section shall be added, namely —

'(3) All rules made under this Act shall be laid for not less than thirty days before both Houses of Parliament as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as Parliament may make during the session in which they are so laid or the session immediately following''

The motion was adopted

Mr. Deputy-Speaker The question

is

"That clause 18A stand part of the Bill"

The motion was adopted

Clause 18A was added to the Bill

Clause 19 was added to the Bill

Clause 20.—(Certain decrees and orders to be null and void)

Amendment made

Page 8, lines 16 and 17 —

for "on the date of the commencement of this Act" substitute "immediately before the date on which this section comes into force"

[Shri Datar]

Mr. Deputy-Speaker: The question

is

"That clause 20, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted

Clause 20, as amended, was added to the Bill

Clause 1.—(Short title and commencement)

Amendment made

Page 1, line 4,—

for "1958" substitute "1959"

[Shri Datar]

Mr Deputy-Speaker The question

is

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted

Clause 1, as amended, was added to the Bill

Enacting Formula

Amendment made

Page 1 line 1 —

for "ninth Year" substitute "Tenth year".

[Shri Datar]

Mr Deputy-Speaker The question

is

"That the Enacting Formula as amended stand part of the Bill"

The motion was adopted

The Enacting Formula as amended was added to the Bill

The Title was added to the Bill

Shri Datar. 1 move

"That the Bill as amended be passed"

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed".

The motion was adopted.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THIRTY-FOURTH REPORT w/1

Shri Rane (Buldana): I beg to present the Thirty-fourth Report of the Business Advisory Committee.

17 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 11th February, 1959/Magha 22, 1880 (Saka)